वर्ष
अंक 1
दिसंबर
1981
50 पैसे

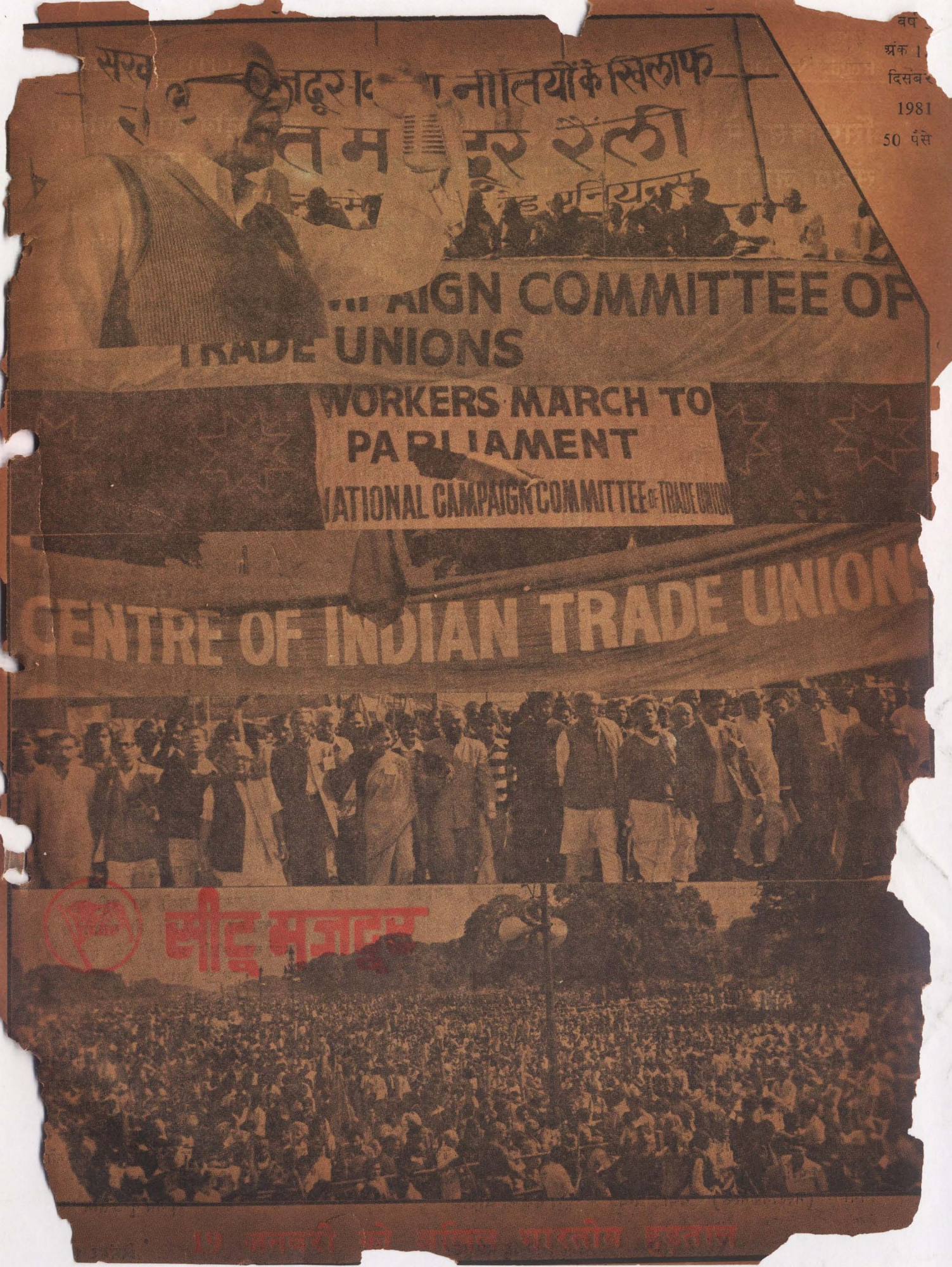

मजदूर वर्ग का जोरदार आह्वान

रैली का एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का फैसला

23 नवबर 1981, बोट क्लब मैदान, नयी दिल्ली में हुई विशाल मजदूर रैली द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

1. देश भर में मजदूरों की यह ऐतिहासिक संयुक्त रैली 4 जून 1981 को बंबई में हुए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं औद्योगिक फेडरेशनों के राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा लिये गए फैसले के तहत ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति की ओर से आयोजित की गई है.

2. देश के कोने-कोने से चलकर हम यहां केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा करने आए हैं, जिन नीतियों के कारण आवश्यक चीजों की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और मेहनतकश जनता की तकलीफें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं. वर्षों के कड़े संघर्षों और बलिदानों के बाद हासिल किए गये ट्रेड यूनियन और जनता के जनवादी अधिकारों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी, भत्ते और जीवन स्तर पर लगातार हमले हो रहे हैं.

3. बंबई सम्मेलन के बाद से सरकार का जनवादविरोधी, मजदूरविरोधी और शोषकपरस्त चेहरा और भी ज्यादा साफ होकर उभरा है. इसका सबूत आवश्यक सेवा कानून का बनाया जाना है. यह एक **काला कानून** है, जो सरकार को यह अधिकार देता है कि हड़ताल करने का मजदूरों का बुनियादी हक भी उससे छीन ले. यह दमनकारी कानून सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा 5,000 करोड़ रु० का कर्ज लेने के लिए, उसके द्वारा लगायी गयी शर्तों के तहत बनाया गया है और उसने इस आरोप का अभी तक खंडन नहीं किया है.

4. संकट दिनों-दिन गहरा होता जा रहा है, क्योंकि इजारेदारों, बहुराष्ट्रीय निगमों (मल्टीनेशनल्स) तथा अन्य समाजविरोधी ताकतों को भारी छूट दी जा रही है. जिसकी वजह से आर्थिक सत्ता और धन गिने-चुने हाथों में केंद्रित होता जा रहा है, अतः यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार बढ़ रही कीमतों और सरकार की मजदूरविरोधी, जनवादविरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग देश भर में एक संयुक्त आंदोलन छेड़े.

5. हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश के जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए, वह अविलंब निम्नलिखित नीतियां लागू करे :—

★ आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में हर वक्त मिलें, इसके लिए जनसमितियों के निरीक्षण में जनवितरण प्रणाली के तहत दूकानों का जाल बिछाया जाय, जहां सस्ती कीमतों पर गल्ला, खाद्य तेल, कपड़ा, चीनी आदि उपलब्ध हो.

★ किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिले तथा खेती में काम आनेवाली चीजें मिलने की गारंटी हो.

★ खेतिहर मजदूरों को जीने लायक न्यूनतम मजदूरी तथा नौकरी की सुरक्षा देने के लिए कानून बनाकर उसे शीघ्र लागू किया जाय.

★ कालाबाजारियों, जमाखोरों, तस्करों, सट्टेबाजों और उनकी हिफाजत करने वाले अफसरों, के खिलाफ कड़े कदम उठाये जायं.

★ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 तथा आवश्यक सेवा कानून 1981 को फौरन खत्म किया जाय.

★ पंद्रहवे भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर मजदूर वर्ग के लिए जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजदूरी तय की जायं.

★ ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित मूल्य सूचकांक (आधार 1960) में प्रतिअंक वृद्धि के लिए 1 रु० 30 पै० की सीमा को खत्म किया जाय और कीमतों में वृद्धि के असर को पूरी तरह से दूर किया जाय.

★ पेमेंट आफ बोनस एक्ट में संशोधन किया जाय और बिना सीमा और शर्त के सभी मजदूरों को बोनस दिया जाय.

★ छंटनी और तालाबंदी पर प्रतिबंध लगाया जाय तथा बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था की जाय.

★ ट्रेड यूनियन सदस्यों और कार्यकर्ताओं को विक्टिमाइज करने के लिए उठाये गये कदम शीघ्र वापस लिये जायं.

★ धोखाधड़ी भरे मूल्य सूचकांक को सशोधित करके ठीक किया जाय.

★ गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जाय.

★ सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी गारंटी हो.

6. लंबे समय से चली आ रही मजदूर वर्ग की इन मांगों को मानने और जनता की फौरी जरूरतें पूरी करने से इनकार करने के लिए हम सरकार की कड़ी निंदा करते हैं.

7. इन परिस्थितियों में हमारी पक्की राय है कि आज और भी अधिक संयुक्त, संगठित, और स्थायी जनांदोलनों की जरूरत है, जो मुद्रास्फीति, कीमतों में वृद्धि तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों व जनवादी हकों पर चौतरफा हमले की सरकार की नीतियों को उलट सकें.

[शेष पृष्ठ तीन पर

एक दिन की हड़ताल पर

बी टी रणदिवे

ट्रेड यूनियन व मजदूर वर्ग एकता का 23 नवंबर को शक्ति शाली प्रदर्शन देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना है.

इससे पहले कभी भी इतने उद्योगों व संस्थानों के, सभी राज्यों से और इतने केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व फेडरेशनों के मजदूरों व कर्मचारियों ने राजधानी में एक कामन प्रदर्शन में भाग नहीं लिया. सभी राज्यों से, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र से, रेलवे व सुरक्षा सेवाओं से, केंद्रीय व राज्य सरकार संस्थानों से, बीमा व बैंकिंग संस्थानों से, इस्पात, कोयला, खदान, जूट, टैक्सटाइल, इंजीनियरिंग व अन्य उद्योगों से जत्थे आए.

उन्होंने इंदिरा सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने 'एस्मा' के खिलाफ प्रदर्शन किया व इसे वापस लेने की मांग की. उन्होंने समूची जनता की ओर से ऊंची कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद की और आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सस्ती दरों पर जनता को सप्लाई करने की मांग की. किसानों के उत्पादों के लिए जब ट्रेड यूनियनों ने लाभकारी दामों की मांग की तो किसानों के लिए एकजुट मजदूर वर्ग की आवाज बुलंद हुई. खेतिहर मजदूरों के लिए अच्छे वेतन की मांग करके विकराल रूप से शोषित खेतिहर मजदूरों की ओर से आवाज उठाई गई.

अपनी ट्रेड यूनियनों का झंडा उठाकर कामगार महिलाओं की बड़े जत्थों में भागीदारी से ट्रेड यूनियनों में नई जागृति का प्रदर्शन हुआ. वे केरल व तमिलनाडु से, आंध्र व महाराष्ट्र व कर्नाटक से, गुजरात, राजस्थान, हरयाणा व पंजाब से आई थी. यह इस बात का प्रतीक था कि ट्रेड यूनियन का महिला विभाग सक्रिय हो रहा है और सर्वहारा महिलाएं वर्ग संघर्ष व इसके संगठनों के झंडों के तले सक्रियता से काम करने के लिए तैयार हो रही हैं.

उनकी लामबंदी सीटू द्वारा 22 नवंबर को आयोजित कामगार महिलाओं के सम्मेलन से तीव्र हुई.

23 नवंबर की विशाल रैली ने सरकारी नीतियों को फिर से अस्वीकृत करने के लिए 19 जनवरी 1982 को एक दिन को अखिल भारतीय प्रतिरोध हड़ताल का आह्वान किया है.

मौजूदा नीतियों के खिलाफ अपने महान संग्राम में एकमात्र वर्ग के रूप में सामना करने व एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए समूचे मजदूर वर्ग का यह एक विशेष आह्वान है. यह आह्वान है ट्रेड यूनियन आंदोलन की पहले ही प्राप्त एकता को और मजबूत करने तथा इसे दस गुना आगे बढ़ाने का.

इस आह्वान को लागू करना, इसका संदेश सभी उद्योगों, सभी हिस्सों व सभी राज्यों में पहुंचाना सभी भागीदारों का झंडा व कर्तव्य है. अधिकारियों को यह चेतावनी कि यह मजदूर वर्ग है जो सभी उद्योगों, परिवहन व संस्थानों को चलाता है तथा अर्थव्यवस्था की पुष्टता को नियंत्रित करता है, सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों पर निगाह रखने व उन्हें दबाने तथा मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जरूरी है. जब जनता के सभी तबके ऊंची कीमतों, बेरोजगारी व जनवादी अधिकारों के दमन से दबे जा रहे हैं और प्रतिरोध के जुझारू तरीकों को खोज रहे हैं, इस विषय में एकजुट एक दिवसीय अखिल-भारतीय हड़ताल भारत के मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन इतिहास के पन्नों में एक एतिहासिक घटना होगी. मजदूर वर्ग की एकजुट कार्यवाही संगठित होने व प्रतिरोध करने के लिए महान प्रेरणा होगी. यह ट्रेड यूनियन आंदोलन को अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष में अवश्य ही सबसे आगे खड़ा करेगी और असंगठित तबकों को इसका अनुसरण करने की प्रेरणा देगी.

अभी तक ट्रेड यूनियनें जनता की ओर से इसकी पहलकदमी करने में नाकामयाब रही हैं. इसे वे इसलिए नहीं कर सकीं क्योंकि उनमें आंतरिक एकता की कमी थी. अब वे स्वयं अपनी ओर से तथा जनता की ओर से अधिकारत: बोल सकती हैं. आगामी हड़ताल उनकी इस नई भूमिका का पहला प्रदर्शन बने. □

देशव्यापी हड़ताल

[पृष्ठ दो का शेष]

इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए, हम यह निर्णय लेते हैं कि समूचा मजदूर वर्ग 19 जनवरी 1982 के दिन देश भर में एक दिन को औद्योगिक आम हड़ताल करे. हम मजदूरों और कर्मचारियों के सभी हिस्सों से और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण, संयुक्त, अनुशासित और संगठित तरीके से इस आम हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनायें.

हम सभी मेहनतकश किसानों, खेतिहर मजदूरों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, बुद्धिजीवियों समेत सभी जनवादी ताकतों से अपील करते हैं कि वे इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए आगे आयें. □

असम चाय बागान मजदूरों का संघर्ष जारी

असम के चाए बागान मजदूरों के बोनस संघर्ष ने गंभीर रुख ले लिया है. अभूतपूर्व व बर्बर दमन का सामना करते हुए व ज्यादा से ज्यादा तबकों को एकजुट करते हुए मजदूर अपना बहादुराना संघर्ष चला रहे हैं.

पुलिस, मालिकान व इंटक के गुंडों के संयुक्त मोर्चे ने कृष्णकली व चापर चाए एस्टेटों में बर्बर दमन शुरू किया था. पुलिसकर्मियों द्वारा मजदूरों को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, उनके मकान जला दिए गए व महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया. उसके बाद कैलाश कर्माकार की पुलिस लाकअप में पीट पीटकर हत्या कर दी गयी. बंदूकप्रेमी पुलिस ने नागरिजुलि व हेरचुरा चाए बागान में दो मजदूरों को गोली से मार दिया.

ये जंगली कारनामें चारों ओर से प्रतिरोध के बावजूद होते रहे. सीटू ने राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री व स्वयं प्रधानमंत्री के समक्ष प्रतिरोध किया. समर मुखर्जी, एम. पी., ने प्रधानमंत्री से प्रतिरोध किया, असम में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला, सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग करते हुए एक प्रैस वक्तव्य जारी किया, आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की सचिव विमला रणदिवे एक प्रतिनिधिमंडल में जिला व पुलिस अधिकारियों से मिलीं, विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने अधिकारियों से मिलकर अपना प्रतिरोध जाहिर किया, और गोहाटी में संपन्न एक सर्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन ने अपना प्रतिरोध एक प्रस्ताव में व्यक्त किया. लेकिन कांग्रेस (आई) के नग्न अधिनायकवादी निजाम ने उस समय सभ्यता की न्यूनतम मान्यताओं को भी लांघ दिया जब इसके गुंडों ने इंटक नेता के नेतृत्व में असम विधान सभा के 10 सदस्यों के एक दल पर, जो 26 अक्तूबर को नागरिजुलि चाए एस्टेट गया था, हमला किया. इसके बाद कृष्णकली चाए एस्टेट के प्रबंधक के भाड़े के समाजविरोधी तत्वों ने 4 नवंबर को अखिल भारतीय चा मजदूर संघ के एक यूनियन कार्यकर्त्ता, लोहारा, के घर को जला दिया. साटू के महासचिव पा. राममूर्ति ने लगातार दमन की निंदा करते हुए एक प्रैस वक्तव्य जारी किया है. □

जनरल काउंसिल की बेलूर बैठक के फैसले

सी. एल वर्की व पी. के कृष्णन के निष्कासन पर

सीटू की केरल राज्य काउंसिल ने यह रिपोर्ट दी है कि सी. एल वर्की व पी. के. कृष्णन को सीटू विरोधी गतिविधियों के अपराध पर उन्हें नोटिस देने के बाद जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, राज्य काउंसिल से निष्कासित कर दिया गया है. उसके बाद वर्की इंटक (आई) में और कृष्णन एटक में शामिल हो गए हैं.

इन हालात में जनरल काउंसिल की यह बैठक वर्की व कृष्णन को सीटू की जनरल काउंसिल से निष्कासित करने का फैसला लेती है. □

एस एस भट्टाचार्य पर प्रस्ताव

सीटू की जनरल काउंसिल की यह बैठक मध्य प्रदेश से जनरल काउंसिल के सदस्य एस एस भट्टाचार्य की विघ्नकारी व सीटू विरोधी गतिविधियों की निंदा करती है.

एस एस भट्टाचार्य ने सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के किसी भी निर्देश को मानने से इंकार कर दिया और वह सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के नेताओं तथा सीटू के सचिव व कोषाध्यक्ष के खिलाफ गलत व झूठा प्रचार करने में लगा था.

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ एच एस सी एल यूनियंज के संयोजक के रूप में उसने कलकत्ता, हैदराबाद व अन्य स्थानों पर यूनियन गतिविधियों में विघ्न डालने की कोशिश की और एच एस सी एल में यूनियनों की गतिविधियों के संबंध में सीटू के फैसलों को लागू करने से इंकार कर दिया.

एस एस भट्टाचार्य ने एच एस सी एल उद्योग में मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्षों का विरोध किया और झूठी खबरें फैला कर मजदूरों को भ्रम में डाला. इसके परिणाम स्वरूप भिलाई में एच एस सी एल यूनियन लगभग खत्म हो गई जिससे भारत में एच एस सी एल मजदूरों के आंदोलन को काफी क्षति पहुंची है. इसलिए जनरल काउंसिल सीटू के सेक्रेटेरियट द्वारा आगे कार्यवाही किए जाने तक एस एस भट्टाचार्य को सदस्यता से निलंबित करने का फैसला लेती है. □

जी एफ टी यू के, कोरिया को सीटू द्वारा शुभकामनाएं

प्यांगयांग में 27-30 नवंबर को होने वाले जी एफ टी यू के छटे सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए. मातृभूमि के शांतिपूर्वक पुनर्एकीकरण, शक्तिशाली समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण और साम्राज्यवाद के खिलाफ व विश्व शांति के लिए संघर्ष में संपूर्ण सफलता की कामना करते हैं. कोरियाई व भारतीय जनता के बीच तथा जी एफ टी यू के व सीटू के बीच दोस्ताना संबंध जिंदाबाद.

रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू

सीटू का नया प्रकाशन

दि एंप्लाईज स्टेट इंशोरेंस स्कीम

—ए हाक्स

(अंग्रेजी में)

ई एस आई रिव्यू कमेटी को सीटू का ज्ञापन

भूमिका

— बी. टी रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू

कीमत : एक रुपया

लिखें :

सीटू का केंद्रीय कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

नेशनल बुक एजेंसी (प्रा.) लि.,
12, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता - 700012

प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी

["प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी" का नारा एकबार फिर प्रकाश में लाया जा रहा है. 1974-75 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में थी, सरकार ने "भागीदारी प्रबंधन" नाम की एक योजना बनाई थी. सीटू की वर्किंग कमेटी ने 10-12 नबंबर 1975 को मद्रास में संपन्न अपनी बैठक में इस नारे के चरित्र का विश्लेषण किया था जो सारांश में, उत्पादन बढ़ाने की एक योजना थी. आज जब आर्थिक संकट गहरा हो गया है और छटी पंचवर्षीय योजना वेतन-बोनस को उत्पादकता के साथ संबंधित कर रही है, इस सवाल पर समर्थनात्मक जनमत तैयार करने की कोशिश की जा रही है. इससे संबद्ध बुनियादी सवालात क्योंकि समान हैं इसलिए हम सीटू के मत को स्पष्ट करने के लिए समूचा प्रस्ताव यहां प्रकाशित कर रहे हैं.—सं]

भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित शाप काउंसिलों द्वारा "भागीदारी प्रबंधन" की योजना, जिसकी एटक, इंटक व एच एम एस के एक हिस्से ने एक महान प्रगतिवादी कदम बताकर प्रशंसा की है, पर सीटू की वर्किंग कमेटी ने विचार किया है. योजना का शीर्षक यानि "भागीदारी प्रबंधन" एक गलतनाम है क्योंकि योजना के तहत मजदूरों की प्रबंधन में कोई भूमिका नही है. यह योजना मजदूरों के प्रतिनिधियों की सहमति के ढकोसले से ज्यादा कार्य-भार थोपने व शोषण तेज करने का एक हथियार है.

यह योजना निजी, सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्रों में, जहां 500 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, एक फैक्ट्री में विभागीय स्तर पर शाप काउंसिल तथा प्लांट स्तर पर ज्वाइंट काउंसिल बनाने की प्रबंधकों को शक्ति देती है. प्रबंधकों को यह तय करने की शक्ति दी गयी है कि कितनी शाप काउंसिलें बनायी जाएं और ऐसी काउंसिलों के कितने सदस्य हों. प्रबंधक यह भी तय कर सकते हैं कि कौन सी यूनियन या यूनियनें शाप काउंसिल से संबंधित होंगी. मजदूरों का प्रतिनिधि केवल विभागीय कर्मचारियों में से ही होगा और एक विक्टिमाइज मजदूर की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी. 1958 से प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का अनुभव ऐसे विक्ट-माइजेशन की कई उदाहरणें पेश करता है. दुर्गापुर में जहां सीटू यूनियन मान्यता-प्राप्त है और जो ज्वाइंट काउंसिल से संबंधित थी अब वह भारी संख्या में अगुवा कार्यकर्त्ताओं के विक्टिमाइजेशन का सामना कर रही है. शाप काउंसिल व ज्वाइंट काउंसिल का अध्यक्ष हमेशा प्रबंधकों का ही प्रतिनिधि होगा जिससे सभी निर्णयों में प्रबंधकों की भूमिका होगी.

शाप काउंसिल का मुख्य उद्धेश्य होगा "शाप/विभाग में उत्पादन, उत्पादकता व कुल कार्यक्षमता बढ़ाना." मासिक/सालाना उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में प्रबंधकों की सहायता करने के नाम पर प्रबंधकों द्वारा मजदूरों को आवश्यकतानुसार मानवीय स्तर दिए बिना सख्त परिश्रम के लिए मजबूर करने की हर कोशिश की जाएगी. व्यर्थव्यय को खत्म करने तथा श्रमशक्ति को पूरा इस्तेमाल करने के नाम पर मजदूरों की दोपहर के खाने का समय कम करने, प्राक्रतिक कार्यों पर कम समय लगाने या इसी तरह की आवश्यकताओं पर समय में कटौती के लिए कहा जाएगा. अनुपस्थिति को कम करने के नाम पर मजदूरों पर और जटिल कार्यशर्तें थोपने के लिए इन काउंसिलों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी. शाप में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर कई मौजूदा सुविधाओं को कम किए जाने की संभावना है. कई संस्थानों में गुप्तचर लक्ष्यों के लिए कुछ लोगों को पहले ही गुप्त रूप से नियुक्त किया जा चुका है. शाप में मजदूरों की शिकायतों को काउंसिलों में नहीं उठाया जा सकता.

ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस व इटली का अनुभव यह दर्शाता है कि "प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी" जैसी योजनाओं को मालिकान ने हमेशा मजदूरों की उत्पादकता बढ़ाने व अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है. वे वर्ग सहयोग के हथियार बन गई थी और उनका मतलब था मजदूरों के संघर्षों को किनारे करना.

वर्किंग कमेटी सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि मौजूदा योजना के वर्ग चरित्र के बारे में मजदूरों को शिक्षित करें और प्रबंधकों द्वारा समर्थित प्रतिनिधियों की ऐसी समितियों के माध्यम से लाए गए सभी मजदूर वर्ग विरोधी कदमों का विरोध करें. सीटू यूनियनों को यह प्रकाश में लाना चाहिए कि उत्पादकता में हर वृद्धि के साथ-साथ फैक्ट्री में मौजूदा रोजगार या भावी रोजगार संभानाएं कम होती हैं. सीटू यूनियनों द्वारा मजदूरों को यह भी बताया जाना चाहिए कि ऐसी समितियों का लक्ष्य क्या है, अर्थात, मजदूरों पर बर्बर दमन करना और एक ओर उनके ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों को कम करना तथा दूसरी ओर इन समितियों में सरकार परस्त व मालिकान परस्त यूनियनों को लाकर मजदूरों की भागीदारी का नाटक करना.

प्लांटों में यदि मजदूरों के अधिकारों का वास्तविक व क्षम्य होना है और भ्रमात्मक व छल नही होना है तो सीटू सरकार की इस घोषित योजना को वापस लेने की मांग करती है और निम्नलिखित के लिए प्रावधान किए जाने की मांग करती है.

1. मजदूरों के सभी प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा चुने जाएं.

2. मजदूरों के प्रतिनिधियों को लेखा (अकाउंट) के सत्यापन को चुनौती देने का अधिकार हो. अपने मत के लिए किसी भी अनुशासनात्मक कार्य वाही से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

[शेष पृष्ठ आठ पर]

औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन तेज

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के अपनी मांगों के समर्थन में संघर्षों को और आगे बढ़ाने की तेजी से तैयारियां हो रही हैं.

टैक्सटाइल उद्योग के मजदूरों ने राज्य स्तर की एक परामर्श समिति बनायी है और कार्यभार व मशीनीकरण के खिलाफ बदली, अस्थायी व ठेका मजदूरों की तथा महंगाई भत्ते में कटौती आदि के खिलाफ एक 12 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है. इन मांगों पर अभियान शुरू करने के लिए पर्चे प्रकाशित करने और विभिन्न केंद्रों में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. संघर्ष को बढ़ाने के लिए मजदूरों को लामबंद करने के लिए कोयंबतूर व मदुरई में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.

हैंडलूम उद्योग में धागे के दामों में वृद्धि के खिलाफ संघर्ष विभिन्न केंद्रों में राज्य फेडरेशन द्वारा चलाया जा रहा है.

टैनरी में मजदूरों के राज्य स्तर के सम्मेलन ने बेहतर कार्य व सेवा शर्तों की उनकी मांगों को जनप्रिय बनाने के लिए संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया.

बोनस संघर्ष : हड़ताली कार्यवाहियां

बदालूर सिरामिक मजदूरों ने एस्मा की परवाह न करते हुए 16 अक्टूबर से 186 दिनों तक हड़ताल की जिसने 20 प्रतिशत बोनस देने के लिए प्रबंधकों को मजबूर कर दिया. संघर्ष के दौरान साउथ आरकाट में प्रदर्शन, जनसभाएं व भूख हड़तालें की गई. राज्य में विभिन्न केंद्रों से संघर्ष फंड इकट्ठा किया गया. ए आई डी एम के श्रम मंत्री के निदेश की परवाह न करते हुए ए आई डी एम के के मजदूरों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया.

पांडीचेरी में एंग्लो-फ्रंच टैक्सटाइल मिल के 7,000 मजदूर 20 प्रतिशत बोनस की मांग पर 14 अक्टूबर से लगातार हड़ताल पर हैं. संघर्ष को मजदूरों व जनता के सभी तबकों से भारी समर्थन मिला है और इसने उस समय नया मोड़ लिया जब पांडीचेरी बंद के आह्वान ने 28 अक्टूबर को शहर में जनजीवन ठप्प कर दिया.

ज्यादा बोनस के लिए हड़ताली कार्यवाहियां मीनाक्षी मिल, मदुरई व कन्याकुमारी के नागामल मिल में भी फैल गई.

साउथ आरकाट जिले में टैक्सटाइल मिल मजदूरों ने फिर से 19 अक्टूबर से लगातार हड़ताल कर दी. सभी यूनियनें एकजुट हैं और संघर्ष को चलाने के लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति बना ली गई है.

मालिकान की एस्मा की सभी धमकियों का बहादुरी से सामना करते हुए मजदूरों की हड़ताली कार्यवाहियों ने टैक्सटाइल मजदूरों में आंदोलन की नई प्रेरणा पैदा कर दी है. कई मिलों में उन्होंने 32 से 42 प्रतिशत तक बोनस देने के लिए प्रबंधकों को मजबूर कर दिया.

सीटू यूनियन की जीत

सीटू से संबद्ध हिंदुस्तान फोटो फिल्म वर्कर्स वेल्फेयर सेंटर ने दूसरी बार भी यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव जीत लिया है. इसकी ऊटी फैक्ट्री के 2,223 मजदूरों में से 1,977 ने चुनाव में भाग लिया. सीटू यूनियन को 1044 मत, इंटक को 698 व ए आई डी एम के को 202 मत मिले. इस सार्वजनिक उद्योग के प्रबंधकों, ए आई डी एम के के राज्यस्तर के नेताओं तथा कांग्रेस (आई) व इंटक ने सीटू यूनियन के खिलाफ प्रचार किया लेकिन मजदूरों ने उनकी सभी नापाक हरकतों को शिकस्त कर दिया. □

आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस के उपाध्यक्ष कामरेड चेन यू का सीटू के महासचिव कामरेड पी राममूर्ति के नाम संदेश

आपके पत्र व उसके साथ संलग्न सीटू की जनरल काउंसिल द्वारा अपनाए गए दस्तावेजों के लिए धन्यवाद. आपके प्रतिनिधिमंडल की इस साल जुलाई-अगस्त में चीन यात्रा पर एक प्रस्ताव अपनाने के लिए मैं आपकी जनरल काउंसिल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं.

अक्तूबर 1978 में आपकी चीन यात्रा और हमारे गंभीर व स्पष्ट वार्तालाप से हमारी दो यूनियनों के बीच दोस्ताना संबंधों की अच्छी शुरुआत हुई थी. आपके प्रतिनिधिमंडल की हमारे मेहमान के रूप में हमारे देश की यात्रा से हम बहुत प्रसन्न हैं. पिछले लगभग 20 सालों में भारत से यह पहला अधिकृत ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल था. उनकी यात्रा से हमारी आपसी समझ व दोस्ती को बढ़ाने के अच्छे प्रयास हुए.

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे सच्चे संयुक्त प्रयासों व बढ़ते सद्भावना संबंधों से हमारी यूनियनों में दोस्ताना संबंध मजबूत व विकसित होंगे और इस प्रकार चीन व भारत की ट्रेड यूनियनों व मजदूरों के बीच परंपरागत दोस्ती को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बढ़ाने में इसने मदद की है. □

सीटू द्वारा आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन की मांग

[मिनिमम वेजिज (सेंट्रल) एड्वाइजरी बोर्ड इस समय न्यूनतम वेतन कानून के तहत न्यूनतम वेतनों के निर्धारण से संबंधित सवाल पर विचार कर रहा है. लेबर ब्यूरो, शिमला, ने इस कानून के तहत कार्यों की समीक्षा की थी और सचिवों की एक समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं. बोर्ड में सीटू के प्रतिनिधि आर. ऊमानाथ ने इस विषय पर एक ज्ञापन पेश किया. उसके कुछ अंश यहां प्रकाशित किए जा रहे हैं ताकि इस विषय पर अभियान शुरु किया जा सके. —सं]

आई एल ओ की कनवेंशन नं० 131 को अपनाओ

न्यूनतम वेतन निर्धारण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) कनवेंशन नं० 131, जिसे 11 साल पहले अपनाया गया था, का भारत सरकार द्वारा अनुसर्थन न किए जाने की निंदा करते हुए ज्ञापन बताता है कि "इस समय न्यूनतम वेतन तय करने की प्रणाणी में पूरी तरह अराजकता है. 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है. एक ही राज्य/क्षेत्र या एक ही उद्योग में रोजगार के विभिन्न दलों में निर्धारित वेतन के मामले में आपसी संबंध बिलकुल नहीं है और सब इसलिए है क्योंकि (1) रोजगार के सभी दल न्यूनतम वेतन कानून के तहत नहीं लाये गये हैं, (2) वेतन-निर्धारण की उचित मशीनरी नहीं है, (3) उन्हें लागू करने की कोई मशीनरी नहीं है और (4) निर्धारित वेतनों पर कानून का कोई बंधन नहीं है."

कानून के संपूर्ण संशोधन की मांग करते हुए सीटू ने मांग की है कि "इसके तहत रोजगार के सभी दल लाए जाएं और वेतन निर्धारण व सामयिक समीक्षा के लिए, लागू करने के लिए, निरीक्षण व मजदूरों की अपीलों पर फैसलों के लिए तथा दोषी मालिकान के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए मशीनरी का प्रावधान किया जाए.

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि बोर्ड तीन महीनों के अंदर अंदर मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करने तथा कानून में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए श्रम प्रतिनिधियों सहित एक उपसमिति बनाए. इससे आई एल ओ कनवेंशन नं० 131 के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन कानून में जरुरी संशोधनों का ठोस रूप में भारत सरकार को सुझाव देने में बोर्ड को मदद मिलेगी."

दोषपूर्ण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ठीक करो

इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए कि संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसकी वेतन, मंहगाई भत्ता आदि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, के दोषपूर्ण होने के खिलाफ शिकायत करता रहा है, ज्ञापन ने सुझाव दिया कि "बोर्ड भारत सरकार को यह सलाह दे कि इस सवाल के सभी पहलुओं पर विचार होने तक रथ कमेटी की सिफारिशों को पहले लागू किया जाए. यह कदम न्यूनतम वेतन कानून के तहत मजदूरों को तुरंत राहत देगा क्योकि कुछ राज्यों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वी. डी. ए.) देने की प्रणाली पहले ही लागू है.

न्यूनतम वेतन में अराजकता को खत्म करो

कानून के तहत या ट्रिब्यूनल के माध्यम से पहले ही निर्धारित न्यूनतम वेतनों की विभिन्न उदाहरणें देते हुए, ज्ञापन में कहा गया है कि "उपरोक्त आंकड़े बताएंगे कि न्यूनतम वेतनों में भारी फर्क के पीछे कोई तर्क नहीं है. ऐसा लगता है कि हरियाणा में खेतिहर मजदूर को औद्योगिक मजदूर से ज्यादा वेतन मिलता है. इसी तरह दिल्ली में एक मजदूर को उत्तर प्रदेश के एक मजदूर से कम वेतन मिलता है हालांकि यहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्यादा है. इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासन में खदान उद्योग के एक मजदूर को बंधुआं खदानों या बिहार में राज्य क्षेत्र के तहत खदानों के मजदूरों की तुलना में कम वेतन मिलता है. आकस्मिक मजदूर को एक नियमित मजदूर के वेतन का आधा या उससे भी कम वेतन मिलता है. बोर्ड को इसलिए न्यूनतम वेतन तय करने का नियम तय करना होगा और न्यूनतम निर्धारण के लिए मशीनरी बनानी होगी".

15 वें आई एल सी नियमों का आदर करो

सचिवों की समिति की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कलरी व शहरी क्षेत्रों में 2,100 कलरी की दैनिक खपत के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत की सिफारिश की है और 4 जून के बंबई सम्मेलन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव की ओर केंद्रित ध्यान आकृष्ट करते हुए, ज्ञापन में मांग की गई है कि 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आई एल सी) द्वारा 2,700 कलरी की दैनिक खपत के आधार पर सर्वसम्मति से तय किए गए नियमों का आदर किया जाए.

न्यूनतम वेतनों के दो स्तर नहीं

सचिवों की समिति द्वारा सुझाए गए न्यूनतम वेतन के दो स्तरों के सुझाव का विरोध करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि "न्यूनतम वेतनों के ऐसे दो स्तरों के लिए जरूरत या औचित्य नहीं है. उचित वेतनों पर समिति ने अपनी राय में पहले ही इसकी व्याख्या की है कि वेतन निर्धारण में क्या क्या किया जाए. आई एल ओ की कनवेंशन न० 131 में न्यूनतम वेतन में सुधार के लिए खास तौर से सामूहिक सौदेबाजी का प्रावधान है. इसलिए बोर्ड को यह सिफारिश करनी चाहिए कि 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर केवल एक आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन होना चाहिए और उचित वेतन या जीवनयापन वेतन सामूहिक सौदेबाजी द्वारा तय किया जाने के लिए छोड़ दिया जाए."

उचित मशीनरी तैयार करो

न्यूनतम वेतन निर्धारण मशीनरी से संबंधित 50 से भी ज्यादा साल पहले 1928 में अपनाई गई आई एल ओ कनवेंशन के मुताबिक उचित मशीनरी बनाने में सरकार की नाकामयाबी की ओर इशारा करते हुए ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र व राज्यों में त्रिपक्षीय चरित्र की उपयुक्त संस्थाएं बनाई जाएं जिन्हें "निर्धारित वेतनों की नियमित अंतरालों के बाद समीक्षा करने की शक्ति हो ताकि उचित समय के बाद बुनियादी न्यूनतम वेतन में वृद्धि न किए जाने के कारण मजदूरों को भविष्य निधि सुविधा से वंचित न किए जा सके", और जो "श्रम विभाग में उपलब्ध मशीनरी की मदद से अपने आप निरीक्षण और साथ ही शिकायतों की की जांच कर सके."

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता फार्मूला

दो पैसे प्रति बिंदु प्रति दिन के हिसाब से वी. डी. ए. का उसी आधार पर विरोध करते हुए, जिस पर विहार सरकार ने 4 पैसे प्रति बिंदु प्रति दिन वी. डी. ए की पहले ही घोषणा की है, ज्ञापन में मांग की गई है कि "बोर्ड भारत सरकार को वी डी ए फार्मूले में कीमत वृद्धि की शत प्रतिशत भरपाई का प्रावधान करने का परामर्श दे."

अंतरिम राहत

इन सभी मजदूरों को, जो समाज का सर्वाधिक दलित तबका है, फौरी राहत देने के लिए ज्ञापन में मांग की गई है कि, "उपरोक्त सभी मुद्दों पर फैसला किया जाने तक, जिसमें कि कुछ समय लगेगा, इस सवाल पर विभिन्न सम्मेलनों द्वारा उठाई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ अंतरिम कदम अपनाने की बोर्ड सलाह दे.

(क) सितंबर 1980 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर न्यूनतम वेतन 500 रुपये या 17 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की जाए. और

(ख) सितंबर 1980 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 6 पैसे प्रति बिंदु प्रति दिन वी. डी. ए. फार्मूला बनाया जाए." □

गुजरात समाचार

बढ़ते दमन व बढ़ते संघर्ष

गुजरात में सीटू के फैलाव के साथ-साथ मालिकान ने मजदूरों पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं. टैक्सटाइल मिल मालिकान ने यूनियन कार्यकर्त्ताओं को विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया है. विक्टिमाइजेशन के खिलाफ मिल मजदूरों ने भारी संयुक्त संघर्ष शुरू कर दिए हैं. इंजीनियरिंग उद्योग में भी दो कार्यकर्ताओं पर दमन के खिलाफ लगातार संघर्ष किए गए हैं. ब्राइटोमैंट एंड कंपनी के खिलाफ संघर्ष ने गंभीर रूप धारण कर लिया और इसकी दो महिलाओं सहित दस मजदूरों ने गिरफ्तारियां दी. पी. बी. आई में भारी संघर्ष ने प्रबंधकों को 140 आकस्मिक मजदूरों को नियमित करने के लिए मजबूर कर दिया. सीटू के नेतृत्व में ईंट यूनियन की गतिविधियां बांडीबंब, फाब, नीमाफैन, पंजाब रोलिंग, गीता अटारवी आदि में फैल गयी हैं. खेड़ा जिला में चुन्नीलाल फाउंड्री मजदूरों पर गुस्से होकर, जो सीटू यूनियन में शामिल हो गए थे, प्रबंधकों के गुंडों ने मजदूरों को आतंकित करने के लिए हरे कृष्ण शाह व अन्य नेताओं पर हमले किए. लेकिन परास्त होने की बजाए मजदूरों ने प्रबंधकों की उदंडता के खिलाफ एक भारी प्रतिरोध रैली से जवाब दिया.

भावनगर में सफल बोनस संघर्षों ने विभिन्न औद्योगिक प्रबंधकों को मजदूरों को 10 से 18 प्रतिशत बोनस देने के लिए मजबूर कर दिया. इसी तरह के सख्त संघर्षों के द्वारा डेरी मजदूर डेरी विकास निगम से काफी वेतनवृद्धि प्राप्त कर सके. विभिन्न एकजुट संघर्षों के बाद मजदूरों के विभिन्न हिस्सों की, जिसमें बैंक, एल आई सी, रेलवेज, पी एंड टी आदि शामिल हैं, एक तालमेल कमेटी बनी जिसके संयोजक हैं. राज्य सीटू के उपाध्यक्ष सुबोध मेहरा. कांदला पोर्ट में भी सीटू की सदस्यता 5,000 तक पहुंच गई है.

साबरकांथा व पंच महल क्षेत्रों में भी सीटू के नेतृत्व में सफल संघर्षों ने मालिकान को मजदूरों की आर्थिक मांगें मानने के लिए मजबूर कर दिया. दाहोद, कालोल गोधरा आदि में व्याप्त संघर्षों ने सीटू के तहत भारी संख्या में मजदूरों को लामबंद कर दिया है. इसी तरह कृष्णदेव इंडस्ट्रीज, गुजरात प्रोसेसिंग, अशोका सर्जीकल्स, गुजरात मेटल्स व बड़ोदा मेटल्स में मजदूर सीटू में शामिल हो गए हैं.

सीटू की गुजरात राज्य कमेटी के नेतृत्व में बढ़ते संघर्षों ने न केवल सीटू की सदस्यता में वृद्धि की है बल्कि अपने हितों की रक्षा तथा कांग्रेस (आई) सरकार के अधिनायकवादी हमलों के खिलाफ अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए भारी तादात में मजदूरों को संयुक्त संघर्षों के एक कामन मंच पर ला दिया है. गुजरात वर्कर्स कोआर्डिनेशन कमेटी ने 3 नवंबर को गुजरात बंद का आह्वान किया है. □

प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी

[पृष्ठ पांच का शेष]

3. उत्पादन के स्वीकृत लक्ष्यों को सहमति देते वक्त ट्रेड यूनियनों को कार्यभार में हर वृद्धि का विरोध करने का अधिकार हो.

4. उत्पादन में कमी के लिए मजदूरों के प्रतिनिधियों को प्रबंधकों की अक्षमता, फंड में घांधली, वस्तुओं की गंदी सप्लाई आदि की आलोचना का अधिकार हो.

5. प्लांट में उत्पादन में कोई भी वृद्धि के परिणामस्वरूप छंटनी, समय से पूर्व रिटायर करने व लेआफ पर प्रतिबंध हो.

6. शाप स्तर पर ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाएं.

वर्किंग कमेटी सीटू यूनियनों का आह्वान करती है कि वे इन मांगों को उठाएं ताकि मजदूर अपने अनुभव से मौजूदा योजना के वास्तविक चरित्र को समझ सकें. □

शांति व निरस्त्रीकरण पर विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए गए न्यूक्लीयर नरसंहार के खतरे के खिलाफ शांति के लिए संघर्ष पर एक विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन पैरिस में 15 से 17 दिसंबर को होगा.

पराग में 22 व 23 सितंबर को संपन्न एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में सम्मेलन के लिए अंतिम दस्तावेज का मसविदा तैयार करने के लिए एक तैयारी समिति बनाई गई थी. स्काटिश टी यू सी केमहासचिव जिम्मी मिल्ने को अंतर्राष्ट्रीय तैयारी समिति का अध्यक्ष चुना गया था.

बैठक ने तैयारी समिति पर जोर दिया था कि इसका ख्याल रखा जाए कि सम्मेलन में बृहतर अंतर्राष्ट्रीय व राजनीतिक विचारधारा के ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यूनियन संगठन भाग लें.

सम्मेलन में अमरीकी साम्राज्यवादियों की युद्ध तैयारियों के खिलाफ शांति के लिए संघर्ष के प्रति मजदूर वर्ग व समाजवादी खेमे की अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी के लिए प्रचार तथा जनमत तैयार करने के लिए तरीकों पर और निरस्त्रीकरण को सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जायगा. □

मेघालय राज्य सम्मेलन

कीमत वृद्धि व भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ कामकाजी जनता के सभी हिस्सों को लामबंद करने के लिए मेघालय की राज्य अभियान समिति ने 29 अक्तूबर को शिलांग में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया. इस सम्मेलन में 30 यूनियनों व एसोसिएशनों के 310 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस सम्मेलन का महत्व यह था कि इसमें आडिट, डाकतार, डिफेंस आयकर, सेंट्रल एक्साइज, सर्वे आफ इंडिया, जी एस आई, बोटेनिकल सर्वे, पी. डब्ल्यू डी, विद्युत मजदूर, म्यूनिसिपल हरिजन मजदूर आदि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया.

असम की ज्वाइंट काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस की ओर से बोलते हुए अच्युत डेका ने बंबई सम्मेलन का एतिहासिक महत्व बताया कि यह कीमतवृद्धि व कांग्रेस (आई) सरकार के अधिनायकवादी हमलों के खिलाफ तथा जनता के जनवादी अधिकारों के लिए संघर्ष और किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ मोर्चा बनाने के लिए मजदूर वर्ग व कामकाजी जनता के सभी तबकों को लामबंद करना है. उन्होंने बताया कि आर्थिक संकट का बुनियादी कारण भूपतियों, एकाधिकारियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा करने की सरकारी नीतियां हैं. सम्मेलन ने 3 नवंबर की रैलियों तथा 23 नवंबर के संसद के लिए मार्च में भारी संख्या में भाग लेने का फैसला किया. □

एच एस सी एल मजदूरों की जीत

हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मजदूरों ने आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी (सीटू) के नेतृत्व में हड़ताल के माध्यम से बोकारो के 2,100 मजदूरों को, जिन्हें सरपलस करार देकर काम से अलग कर दिया गया था, बहाल करने के लिए संयुक्त मंच के साथ एक समझौता करने के लिए प्रबंधकों को मजबूर करके एक बड़ी जीत हासिल की है. इन मजदूरों को सेवा सततता के साथ वापस लिया जाएगा.

सीटू, एटक, एच एम एस, इंटक व लोकतांत्रिक यूनियनों द्वारा दिए गए एक संयुक्त मांगपत्र पर भी एक समझौता हुआ. समझौते के तहत सभी मजदूरों को प्रबंधक 50 रुपये प्रति माह अंतरिम राहत व 250 रुपये की अग्रिम राशि देंगे. मजदूरों की महंगाई की पूरी भरपाई की मांग का फैसला संयुक्त द्विपक्षीय मंच पर किया जाएगा.

कुद्रेमुख में के आई ओ सी एल परियोजना के छटनी किए गए 414 मजदूरों की बहाली के सवाल पर संयुक्त मंच की एक उपसमिति में विचार किया जा रहा है.

यह जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रबंधकों की टालमटोल की नीति को धराशायी करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों ने संयुक्त आंदोलन चलाए थे. कोआर्डिनेशन कमेटी ने सभी यूनियनों का आह्वान किया है कि कुद्रेमुख के मजदूरों की बहाली के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दे. □

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग

दिल्ली साइंस फोरम व फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंज आफ इंडिया सहित छः संगठनों द्वारा 7 व 8 नवंबर को नयी दिल्ली में आयोजित "दवा उद्योग व भारतीय जनता" पर एक गोष्ठी ने भारत में दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए जनवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जनता का जोरदार आह्वान किया है.

अपनी तरह का यह देश में पहला सम्मेलन था जिसमें समूचे देश से डाक्टरों, वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों, चिकित्सा प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सांसदों व अर्थशास्त्रियों तथा वालंटरी स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. पी. एन. हक्सर गोष्ठी के अध्यक्ष तथा डा० (श्रीमती) इमराना कदीर इसकी संयोजक थीं.

सम्मेलन को टी यू आई केमिकल्स, आयल एंड अलाइड वर्कर्स के सचिव पाल गरगले, सीटू महासचिव पी. राममूर्ति, हाथी कमेटी के विभिन्न सदस्यों, जे. एस. मजूमदार व अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संबोधित किया तथा पर्चे पेश किए.

गोष्ठी के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य व दवा नीति के लिए जनवादी आंदोलन की जरूरत है. सम्मेलन ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी जो विस्तृत अध्ययन करेगी और अपनी

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

19 जनवरी को अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल

एतिहासिक मार्च

एकता के भारी प्रदर्शन से 23 नवंबर के "संसद के लिए मार्च" ने देश के मजदूर वर्ग संघर्ष के इतिहास में एक नया महान अध्याय जोड़ दिया है.

बंबई के 4 जून के सम्मेलन के फैसलों के अनुसार, कीमत वृद्धि और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध प्रकट करते हुए इंदिरा गांधी के अधिनायकवादी निजाम को चेतावनी देने के लिए सभी राज्यों से, जम्मू-कश्मीर से अंडेमान-निकोबार द्वीप समूह तक और गोवा से असम-त्रिपुरा तक, लगभग पांच लाख मजदूर दिल्ली के बोट क्लब मैदान में इक्ट्ठा हुए. मजदूरों के सभी तबकों से, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों से, लगभग सभी प्रकार के उद्योगों से, किसानों, खेतिहर मजदूरों, छात्रों, अध्यापकों, युवकों और हजारों महिलाओं ने मार्च में भाग लिया. कुछ के नाम गिनाएं, केंद्र राज्य सरकार कर्मचारी, रेलवे मजदूरों के विभिन्न तबके, विद्युत मजदूर, डाकतार, सुरक्षा, आडिट, बीमा, दवा उद्योग के कर्मचारी, विभिन्न खदान मजदूर, नाविक, परिवहन, क्वायर, जूट व वेतनभोगी कर्मचारी—देश के कोने-कोने से—मुख्यधारा में शामिल हुए.

राजधानी में अभी तक देखे गए सर्वाधिक अनुशासित, शांतिपूर्ण व संगठित जुलूसों में से एक, यह मार्च सुबह दस बजे लाल किले से शुरू हुआ और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के झंडे व बैनरों को लिए यह सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग, तिलक ब्रिज, तिलक मार्ग व इंडिया गेट से होता हुआ लगभग 8 किलोमीटर रास्ता तय करके बोट क्लब मैदान में आकर विशाल सभा में बदल गया. करीब 12.30 बजे जुलूस का शीर्ष बोट क्लब पहुंच गया था जबकि इसका आखिरी भाग दो बजे पहुंचा जिसमें हजारों बैनरों व झंडों से सजे मानव समुद्र की विशाल प्रकृति का पता चलता है. यातायात ठप्प हो जाना अवश्यंभावी था जिससे घंटों तक दृश्य बना रहा. मजदूरों के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमलों के खिलाफ, कीमत वृद्धि के खिलाफ और एन एस ए व एस्मा के खिलाफ नारों से गगन गूंज उठा. राष्ट्रीय अभियान समिति का निर्माण करने वाली केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने जुलूस का नेतृत्व किया और सबसे आगे था वह विशाल बोर्ड जिस पर "मार्च टू पार्लियामेंट" लिखा था. समूचा बोट क्लब मैदान, ठीक विशाल मंच से लेकर करीब इंडिया गेट तक जो करीब 2 किलोमीटर की दूरी है, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों के बैनरों व झंडों से लाल समुद्र लगता था. समूचे जुलूस में व बोट क्लब मैदान के पूरे क्षेत्र में पुलिस के विशाल जत्थे से जनता में असंतोष की लहर के प्रति अधिनायकवादी मशीनरी का डर बेनकाब हुआ.

कुछ क्रांतिकारी गीतों के बाद बोट क्लब पर सभा एक बजे के थोड़ी देर बाद शुरू हुई. एक अध्यक्ष मंडल ने, जिसके सदस्य थे: एम. के. पंधे (सीटू), बी. डी. जोशी (एटक), सुशील भट्टाचर्जी (यू टी यू सी), टी. सी. पालीवाल (टी यू सी सी), सी. एस. चंद्रू राय (एच. एम.एस.), एन. सी. गांगुली (बी एम एस), जे. एस. दारा (इंटक-दारा) और ज्ञान सिंह (यू टी यू सी-एल एस), सभा की कार्यवाही चलाई.

रैली का प्रस्ताव (पृष्ठ 2 देखें) हिंदी व अंग्रेजी में क्रमशः एम. के. पंधे (सीटू) व एन. सी गांगुली (बी एम एस) द्वारा पेश किया गया. प्रस्ताव ने इंदिरा सरकार की चहुमुखी संकट को गंभीर बनाने की नीतियों की, आम जनता के जीवन स्तर पर असर डालने वाली आसमान छूती कीमतों के खिलाफ, जनता के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमलों के खिलाफ और मजदूर वर्ग से संबंधित हर चीज पर हमलों के खिलाफ निंदा की. इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए 5,000 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण की भर्त्सना की और कोष की शर्तों के अनुसार, जिसे स्वयं सरकार इंकार नहीं कर सकी, लगाए गए एस्मा की वापसी की मांग की. प्रस्ताव में इस ओर इशारा किया गया है कि बंबई सम्मेलन के बाद सरकार ने मजदूर वर्ग से टक्कर लेने की नीति अपना ली है जैसा कि एस्मा को लागू करने के तरीके से जाहिर है. प्रस्ताव ने किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी दामों और खेतिहर मजदूरों को जीवनयापन वेतन देने की मांग की.

प्रस्ताव का मुख्य संघर्ष कार्यक्रम, जिसमें 19 जनवरी 1982 को सभी उद्योगों में सभी संस्थानों में अखिल भारतीय हड़ताल करने की घोषणा की गई है, का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट में बुलंद नारों से: "हड़ताल पर रोक लगाने वाले कानून का एक मात्र जवाब स्वयं हड़ताल है", किया गया.

सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए समर मुखर्जी (सीटू) ने कहा कि सरकार की जन विरोधी, श्रम विरोधी, अधिनायकवादी नीतियों व कार्यवाहियों ने ही मजदूरों के सभी तबकों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, छात्रों व युवकों की सभी राजनीतिक संबद्धताओं की रूकावटों को लांघ कर इतनी भारी लामबंदी का रास्ता तैयार किया है और इस लामबंदी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि सरकार अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर हो.

इंद्रजीत गुप्ता (एटक) ने मजदूरों को प्रतिक्रियावादी ताकतों की फूट डालने की सारी नापाक करतूतों को धराशयी करने के उनके पक्के इरादे के लिए बधाई दी. उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे हड़ताल के फैसले को इसकी सफलता के लिए आम मजदूर के बीच ले जाएं.

डी. पी. ठेगड़ी (बी एम एस) ने सरकार की विदेशी ऋण पर निर्भर करने व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चापलूसी करने की, जो गहराते संकट के लिए जिम्मेदार है, और जनता के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमलों की नीतियों की कड़ी आलोचना की.

बिशेश्वर त्यागी (एच एम एस) ने इंदिरा शासन में इंटक के गुंडों की संगठित गुंडागर्दी की ओर इशारा किया. उन्होंने मोदीनगर में एच एम एस के नेता जय प्रकाश की हत्या का उदाहरण दिया.

चित्त बसु (टी यू सी सी) ने कहा कि मजदूर वर्ग ने अपनी दुश्मन इंदिरा सरकार को ठीक ही पहचाना है और यह भारी प्रदर्शन अपने अधिकारों व जनवाद की रक्षा के लिए संघर्ष के प्रति उनके दृढ़ संकल्प का द्योतक है.

जतीन चक्रवर्ती (यू टी यू सी), जो पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार में एक मंत्री भी हैं, ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एन एस ए व एस्मा को अस्वीकार कर दिया है और जनता का आह्वान किया कि किसी भी कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा काले कानूनों को लागू करने की सभी कोशिशों को नाकाम करने के लिए वह संघर्ष को आगे बढ़ाए.

एक दिन की 19 जनवरी को हड़ताल की घोषणा का प्रस्ताव लाखों हाथों को उठाकर व गगन-भेदी नारों के साथ सर्वसम्मति से पारित हुआ.

पहली अखिल भारतीय हड़ताल को पूर्ण सफल बनाने के लिए सभी अड़चनों को दूर करते हुए जनता में दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भर गया. मजदूर वर्ग के, खेतिहर मजदूरों के, वेतनभोगी कर्मचारियों के, छात्रों के, युवकों के, कामगार महिलाओं के और आम जनता के अनुभव समान थे—इंदिरा गांधी और उसकी प्रतिक्रियावादी ताकतों की कांग्रेस (आई) सरकार की उत्तरोत्तर बढ़ती अधिनायकवादी कार्यवाहियां. उनके बुनियादी अधिकारों पर, उनके आर्थिक स्तरों पर नग्न हमले, समझौतों का उल्लंघन करना, इंटक यूनियनों को खुलेआम पनाह देना, भाड़े के गुंडों द्वारा हत्याएं, पुलिस हवालात में पीटना व जान से मारना, महिलाओं के साथ बलात्कार और सामंती गुंडों द्वारा हरिजनों का नरसंहार इंदिरा सरकार के तहत भारतीय संस्कृति का चेहरा हैं, जबकि एकाधिकारी, सामंत भूपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां फायदा उठा रही हैं.

इसलिए हड़ताल के आह्वान ने अपने उद्धार के लिए एक मात्र रास्ता दिया है—अधिनायकवादी शासन के खिलाफ पहली तोप, वामपंथी व जनवादी विकल्प के लिए रास्ता बनाने के लिए संघर्ष में एकता. वर्ग एकता की अपनी ऐसी चेतना मजदूरों ने पहले कभी नही दर्शायी, व्यवहारतः एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने पहले कभी किसानों व खेतिहर मजदूरें की मांगें नही उठाई, उन्होंने पहले कभी कामगार महिलाओं को उनके खिलाफ सामंती बेड़ियों के सभी अवशेषों को तोड़ने के लिए मजदूर वर्ग संघर्ष में समान रूप से चलने के लिए मजदूर वर्ग के एक हिस्से के रूप में नही देखा और पहले कभी मध्यम वर्गीय

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

बढ़ती वर्ग चेतना का प्रतीक

लंदन में भारतीय मजदूरों का एस्मा के खिलाफ प्रतिरोध

ग्रेट ब्रिटेन की इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन ने एस्मा के खिलाफ 22 नवंबर 1981 को भारत के उच्चायोग के समक्ष लगभग 500 लोगों को लामबंद करके प्रतिरोध प्रकट किया. और लंदन में भारत के उच्चायुक्त को एक ज्ञापन दिया. यह कार्यवाही भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ एकजुटता का इजहार करने और इस काले कानून के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने के लिए थी.

प्रतिरोध प्रदर्शन के बाद अफ्रीका हाऊस, लंदन में एक जन सभा आयोजित की गई जिसमें लेबर पार्टी, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं तथा अन्य नेताओं ने भारत सरकार के ट्रेड यूनियन विरोधी कानून की निंदा की और भारतीय यूनियनों के साथ एकजुटता व्यक्त की. इसके अलावा इस काले कानून के वापस लेने के लिए इंदिरा सरकार से अनुरोध किया गया. अगर यह कालाकानून वापस नहीं लिया गया तो एसोसिएशन और कदम उठाएगी. □

'भेल' प्रबंधकों की टालमटोल की नीति

'भेल' प्रबंधकों द्वारा पिछले कई सालों से चले आ रहे मुद्दों पर जानबूझकर समझौता करने से बचकर अपनाई गई टालमटोल की नीति की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने ज्वांइट कमेटी की 4 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में कड़ी आलोना की.

जनवरी 1980 में किए गए पिछले भेल समझौते में यह प्रावधान है कि लंबे अरसे से चले आ रहे मुद्दों पर छः महीनों के अंदर द्विपक्षीय समझौतावार्ता के माध्यम से फैसला किया जाएगा. लेकिन लगभग दो साल पूरे होने के बाद भी समझौता करने के लिए प्रबंधकों ने कोई उचित कदम नहीं उठाए हैं. समझौता होने के बाद ज्यादातर बैठकों में भेल प्रबंधकों ने किसी न किसी बहाने से इस विषय पर बातचीत करने में आनाकानी की है.

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने मकान किराया भत्ता, सिटी कंपंसेट्री भत्ता व अन्य भत्तों के सवाल का, जिसे असाधरण लंबे समय तक अनिर्णीत रखा गया है, हवाला दिया. अनियमितता कमेटी की रिपोर्ट को कई केंद्रों में लागू नहीं किया गया है. पदोन्नति नीति के सवाल पर संयुक्त रूप से विचार नहीं किया है लेकिन प्रबंधक इसे एकतरफा तौर पर लागू कर रहे है जिससे मजदूरों में गहरा असंतोष फैल रहा है. एक और गुप्तमतदान कराके ज्वाइंट कमेटी की पुनर्रचना में प्रबंधकों द्वारा देर की जा रही है क्योंकि इंटक इसका विरोध कर रही है तथा चैक आफ प्रणाला पर जोर दे रही है.

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पर प्राथमिकता की मांग की है ताकि उन्हें बिना किसी देरी के तय किया जा सके. प्रबंधक दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में विचार विमर्श के लिए कागजात तैयार करने के लिए सहमत हुए.

सीटू की ओर से पी. राममूर्ति, एम. के. पंधे व एन. भास्कर राव ने बैठक में भाग लिया. □

'सेल' यूनिट द्वारा समझौते का उल्लंघन

कालटा आयरन माइंस में 1,650 मजदूरों की छंटनी के खिलाफ यूनाइटेड माइंस मजदूर यूनियन, टेंसा, ने लगातार हड़ताल का एक नोटिस दिया था जिसके बाद स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक यूनिट राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबंधकों ने यूनियन के साथ निम्नलिखित समझौता किया था :

"माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कंपनी, ठेकेदार, के सभी छंटनी किए गए मजदूरों को नए ठेकेदार के तहत डेढ़ महीने के अंदर, 15 अक्तूबर 1981 से पहले, वापस ले लिया जाएगा."

लेकिन नए ठेकेदार, कालिंगा माइनिंग व ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के माध्यम से छंटनी किए गए 1,650 मजदूरों में से केवल 150 वेगन व ट्रेक लोडर को पुनः नौकरी पर लिया गया है.

सेल अधिकारियों ने यह दूसरी बार समझौतों का उल्लंघन किया है. पिछली बार यूनियन के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के तहत उन्होंने ठेकेदारों के मजदूरों को विभागीय बनाने को स्वीकार किया था. लेकिन समझौते का पूरा उल्लंघन करते हुए उन्होंने 1,650 मजदूरों को निकाल दिया था. 1979 में भी उन्होने 550 मजदूरों को निकाल कर एम एम टी सी से लौह खनिज खरीदना शुरू कर दिया था और इस प्रकार उत्पादन 60,000 टन से कम करके 15,000 टन कर दिया गया तथा असली कीमत बढ़ा दी गयी. इस तरह सुनियोजित ढंग से मजदूरों की सख्या में कमी करने तथा समझौतों के उल्लंघन ने मजदूरों को एक बार फिर संघर्ष के पथ पर खड़ा कर दिया गया है. □

सीटू द्वारा उत्तर प्रदेश जेल स्टाफ पर दमन की आलोचना

सीटू के महासचिव पी राममूर्ति, एम. पी. ने 7 नवंबर को निम्नलिखित बयान जारी किया है.

यू. पी, सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के जेल स्टाफ पर ढाए गए दमन की सीटू कड़ी आलोचना करती है. उत्तर प्रदेश सरकार का बदले की भावना का रवैया इस तथ्य से जाहिर है कि आंदोलन के दौरान 1,652 से भी ज्यादा को जेल में डाल दिया गया है, 1260 अस्थाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, लगभग एक हजार स्थाई कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और सहायक जेलर या उससे ऊपर के स्तर के 32 अफसरों को सीधे-सीधे बर्खास्त कर दिया गया है. पुलिसकर्मियों के साथ वेतन समानता व समान व्यवहार जैसी मांग एक जायज मांग है क्योंकि जेल कर्मचारी भी उसी तरह के नियमों के तहत आते हैं.

सीटू उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करती है कि बदले की भावना का रवैया त्याग दिया जाए, सभी गिरफ्तार कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए, जिन्हें पहले विक्टिमाइज किया जा चुका है उन्हें बहाल किया जाए और जेल स्टाफ की जायज मांगों पर समझौता-वार्ता की जाए.

संघर्षरत जेल स्टाफ के साथ सीटू एकजुटता का इजहार करती है और उनकी मांगों को पूरा समर्थन देती है. सीटू सभी ट्रेड यूनियनों व जनवादी संगठनों से अपील करती है कि वे सरकार को जेल स्टाफ की जायज मांगें मानने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शक्तिशाली आवाज बुलंद करें. □

प्रैस समाचारों के अनुसार जेल स्टाफ की 21 दिन की हड़ताल मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद वापस ले ली गयी है. □

दि वर्किंग क्लास

(अंग्रेजी में)

कीमत 50 **पैसे**

सालाना चंदा 6 **रूपये**

एजेंसी कम से कम 5 प्रतियों की

लिखें : सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

कामगार महिलाओं का अखिल भारतीय सम्मेलन

मांगपत्र का निर्माण

नयी दिल्ली में 22 नवंबर को आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन (सीटू) द्वारा आयोजित कामगार महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन ने उनकी विभिन्न समस्याओं को कम करने के लिए एक 21-सूत्री मांग पत्र बनाया. सुशीला गोपालन, एम. पी. (सी. पी. आई-एम) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री राम दुलारी सिंहा को मांग-पत्र पेश किया. मंत्री ने मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया.

केंद्रीय ट्रेड यूनियन व औद्योगिक फेडरेशनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा किए गए एक दिन की हड़ताल के आह्वान के समर्थन में सम्मेलन एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया और कामगार महिलाओं का अपने अपने केंद्रों में हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया.

सम्मेलन का उद्घाटन सुशीला गोपालन ने किया. भिलाई के ठेका मजदूरों, पंजाब की नर्सों, व अध्यापकों, कपड़ा मजदूरों, क्वायर मजदूरों, बागान मजदूरों तथा कर्मचारियों के अन्य तबकों के 16 राज्यों से लगभग 400 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया.

कोआर्डिनेशन कमेटी की सचिव विमला रणदिवे ने गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की. कामगार महिलाओं की समस्याओं पर अहिल्या रंगनेकर ने प्रकाश डाला तथा मैथिली शिवरमन ने मांग पत्र पेश किया. जोगाबाई (म. प्र.), नाजीमुनीसा (केरल), पुन्यावती (आंध्र प्रदेश), सलीमा दाउद करीम (महाराष्ट्र), नीना राव (दिल्ली), वरूनदासिन त्रिवेदी (यू.पी), शशीकला (तमिलनाडु) व गीता ओझा (असम) सहित विभिन्न राज्यों सहित 25 डेलिगेटों ने बहस में हिस्सा लिया.

संगठन पर रिपोर्ट में सामंती-पूंजीवादी प्रणाली के कारण कामगार महिलाओं की सस्याओं, उनके खिलाफ भेदभाव तथा हर स्तर पर समान व्यवहार किये जाने की चर्चा की गयी थी. परिवार में असमान स्थान और घर व बच्चों की देखभाल की उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन में निष्क्रिय बना दिया हैं. लेकिन रिपोर्ट में यह नोट किया गया कि बढ़ते ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ कामगार महिलाओं की कठिनाइयां उनकी चेतना में वृद्धि होने से धीरे धीरे कम हो रही हैं.

यूनियन नेतृत्व की जागरूकता कि ट्रेड यूनियन आंदोलन तब तक अपना संपूर्ण-स्तर नहीं पा सकता जब तक यह कामगार महिलाओं की खास मांगों को न उठाए और जब तक महिलाओं के जत्थे यूनियनों के संगठन व नेतृत्व में अपनी भूमिका न निभाएं, भी आंदोलन में कामगार महिलाओं का बढ़ती भागीदारी में सहायक रही है.

रिपोर्ट ने यह नोट किया कि पश्चिम बंगाल, केरल व महाराष्ट्र में महिलाओं के अलग विभाग व कमेंटियां बनाई गयी हैं. कामगारों महिलाओं ने आंध्र में बीड़ी व तंबाकू यूनियनों का तथा असम, पश्चिम बंगाल व कर्नाटक आदि में बागान यूनियनों का नेतृत्व प्राप्त कर लिया है.

विशिष्ट मांगों में पुरुषों की भांति समान वेतन व अवसर, चार महीनों का सवेतन प्रसूती अवकाश, प्रसूति कानून में संशोधन, बालगृह का अनिवार्य प्रावधान, रात्रि पाली या भूगत खदानों में महिलाओं को काम पर लगाने पर प्रतिबंध, ट्रेड यूनियन समस्याओं पर सरकार द्वारा निर्मित समितियों में महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने, और महिलाओं को काम पर लगाने से पहले प्रसूति परीक्षा पर रोक की मांगें शामिल हैं.

महिलाओं का विश्व सम्मेलन

"समानता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता व शांति" पर महिलाओं का विश्व सम्मेलन प्राग, चैकोस्लोवाकिया, में 8 से 13 अक्तूबर को संपन्न हुआ. सम्मेलन में 134 देशों के 1,200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. विमल रणदिवे ने आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन का प्रतिनिधित्व किया.

प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार किया कि तकनीकी तथा सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों से कामगार महिलाओं के रोजगार व हालात पर असर पड़ता है. बहस ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के लिए पूर्व-शर्त

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

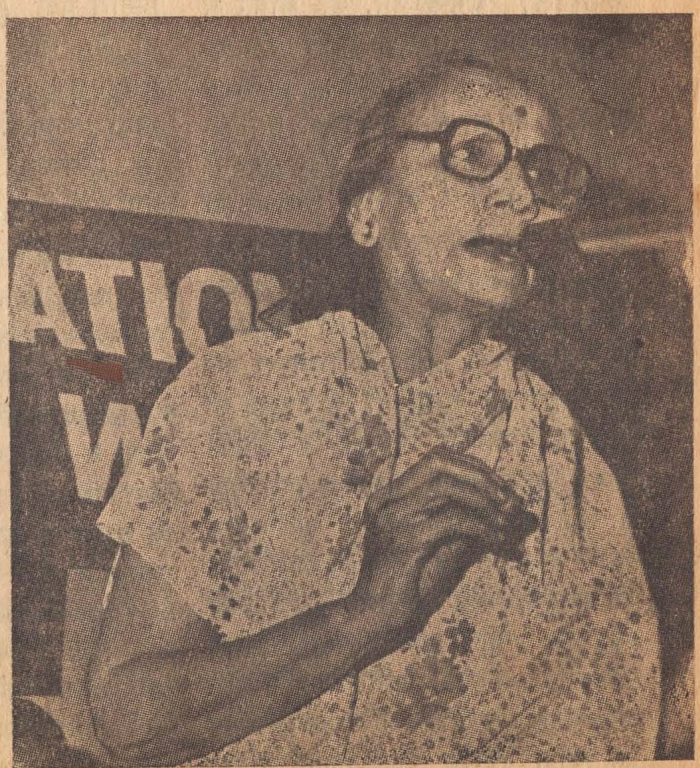

विमल रणदिवे

कामगार महिलाएं

[पृष्ठ तेरह से आगे]

के रूप में समान पारिश्रमिक के अधिकार के सवाल को केंद्रित किया.

अंतिम दस्तावेज ने संयुक्त राष्ट्र, सरकारों, संसदों, ट्रेड यूनियनों व सभी सामाजिक संगठनों का आह्वान किया कि वे समाज व परिवार में कामगार महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं व गृहणियों के सम्मान जनक व समान स्थान के आश्वासन के लिए कार्यवाही करें. यह जनवाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता के हितों में उनकी निपुणता व योग्यता के पूरे विकास में सहायक होगी. इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी साम्राज्यवाद, जो अपनी भारी युद्ध तैयारियों से विश्व को धमकी दे रहा है, आम जनता का मुख्य शत्रु है और कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शांति बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वशर्त है. □

बी. जी. एम. एल. मजदूरों का धरना

भारत गोल्ड माइंस एंप्लाईज यूनियन के पदाधिकारियों जैसे एस. सवारीदास, सचिव; टी. एस. मनी व ए. कन्नन, उपाध्यक्ष; एम-कृष्णन, जी आर्थर व एस. धानासिंह, सहायक सचिव तथा ए. अरोक्कियादास, कोषाध्यक्ष; ने लाइन पंचायतों के अध्यक्षों व सचिवों तथा बी जी एम एल मजदूरों के युवा संगठनों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर बी जी एम एल के "अर्जेंट" कार्यालय पर 17 नवंबर को दिन भर का धरना आयोजित किया. मजदूरों की लंबे अरसे से चली आ रही मांगें हैं बेथामांगला जल के मजदूरों की कलोनियों में सप्लाई की गारंटी, आवासीय क्वार्टर व उनकी समय से मरम्मत, सफाई, क्वार्टरों व सड़कों का विद्युतीकरण, वाचनालय, शादी घर, और मजदूरों की कालोनियों में स्पोर्ट्स क्लब व ड्रामा हालों की बहाली. उन्होंने मुख्य हस्पताल एबुलस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन मामलों में संपर्क करने के लिए कालोनियों में पर्याप्त एंबुलैंस व टेलीफोन सुविधा की भी मांग की है.

एतिहासिक मार्च

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

कर्मचारी देश में अधिनायकवाद के तेजी से पनपने का प्रतिरोध करने के लिए मजदूरों के सभी दूसरे हिस्सों के साथ एकजुट रहने के लिए देश में जनता के जनवादी आंदोलन में लामबंद नही हुए.

मजदूरों का मूड उनके इस दृढ़ संकल्प को दर्शाता था कि वापस जाएं और 19 जनवरी को एक दिन की हड़-ताल के नारे के साथ 1982 की अखिल भारतीय सीधी कार्यवाही की तेजी से तैयारियां करें.

रैली के बाद दिल्ली के जन नाट्य मंच ने एस्मा पर एक प्रगतिवादी नाटक किया.

निम्नलिखित सदस्यों के एक प्रति-निधिमंडल ने प्रस्ताव की एक एक प्रति-लिपि लोक सभा के स्पीकर व राज्य सभा के अध्यक्ष को दी: समर मुखर्जी (सीटू), इंद्रजीत गुप्ता (एटक), चित बसु (टी यू सी सी), जतीन चक्रवती (यू टी यू सी), एस. डब्ल्यू. ढाबे (इंटक-दारा), रामनरेश सिंह (बी एम एस), चिन्ना दुरई (एच एम एस), प्रितीश चंदा (यू टी यू सी-एल एस), डी. पी. चौबे (ए आई आर एफ), प्रभातकार (ए आई बी ई ए), एस के व्यास (कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्न-मैंट एंप्लाईज) और सरोज चौधुरी (ए आई आई ई ए).

संसद में गूंज

उसी दिन प्रस्ताव की मांगों को राज्य सभा में विशेष ध्यानाकर्षण में तथा लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाते हुए अरविंद घोष (सी पी आई-एम) व सत्य साधन चक्रवर्ती (सी पी आई-एम) ने कहा कि देश के कोने कोने से लाखों मजदूर, किसान व मेहनतकश जनता के अन्य हिस्से आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और एन एस ए व एस्मा जैसे जनवाद विरोधी दमनकारी कदमों के खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर करने के लिए बोट क्लब पर इक्ट्ठा हुए हैं. आई एम एफ व विश्व बैंक सहित राष्ट्रीय व विदेशी एकाधिकारियों के आदेशों पर बर्बर दमन के रास्ते को जारी रखने की बजाए सरकार को भारी एकजुट प्रतिरोध से उचित सबक सीखना चाहिए और मांगें स्वीकार करने के लिए अपनी नीतियां बदलनी चाहिएं. यदि इसका जवाब देने में सरकार नाकामयाब होती है तो अखिल भारतीय हड़ताल के द्वारा इससे भी जबरदस्त प्रतिरोध किया जाएगा और इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी. □

यूनियन के बार-बार ज्ञापनों के बाद भी प्रबंधकों से कोई खास आश्वासन लेने में नाकामयाब होने के बाद, मजदूर संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हुए थे. □

सी जी आई एल, इटली, को सीटू का संदेश

आपका 2 अक्टूबर का पत्र मिला. पहला पत्र प्राप्त नहीं हुआ. सी जी आई एल की रोम में 16-21 नवंबर को होने वाली दसवीं कांग्रेस के लिए निमंत्रण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. वेतन, कार्य हालात व सुरक्षा पर पूंजीवादी हमलों के खिलाफ लगातार संघर्षों के लिए सम्मेलन में भाग लेनेवाले डेलीगेटों व इटली के मजदूर वर्ग को कृपया हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए. आपके देश में प्रतिक्रियावादियों की साजिशों के खिलाफ तथा युद्ध के खतरे के खिलाफ इटालियन मजदूरों के संयुक्त संघर्षों के साथ सीटू पूरी एकजुटता का इजहार करती है. इटली व भारत के मजदूरवर्ग के बीच दोस्ताना संबंध जिंदाबाद. सी जी आई एल व सीटू के मध्य बिरादराना संबंधों के और मजबूत होने की कामना करते हैं. □

दवा उद्योग पर गोष्ठी

[पृष्ठ नौ से आगे]

सिफारिशें देगी. गोष्ठी ने सर्वसम्मति से यह मांग की है कि दवा उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए तथा राष्ट्रीय दवा प्राधिकरण बनाने के लिए हाथी कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए. □

विश्व बैंक ऋण - जनता - रेल कर्मी

भारतीय रेलवेज के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने की सरकार की कोशिशों को समाचार पत्रों ने 'बेचना', 'घुटने टेक कर स्वीकार करना' आदि कहकर ठीक ही संज्ञा दी है. आई बी एम के कंप्यूटर की खरीद से शुरू होकर विश्व बैंक एमर्जेंसी के काले दिनों में, अर्थात 1976-77 में प्राप्त कार्यक्षमता को बहाल करने पर जोर दे रहा है. यात्री किराया व माल भाड़े में भारी वृद्धि तथा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की लंबी अवधि के लिए यह आदेश देता है. इसलिए जनता को ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाओं, रेलगाड़ियों के और ज्यादा देर से चलने तथा कम से कम सुविधाओं के साथ यात्रा पर ज्यादा खर्च करने के लिए और रेल कर्मियों को ज्यादा कार्यभार व सजाओं के लिए तैयार होना होगा.

रेलवे बोर्ड की नजर सबसे पहले सदर्न व साउथ सेंट्रल रेलवेज पर पड़ी है. वित्त आयुक्त ने 8 जून को व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 6 सितंबर को इन दो रेलवेज के साथ विचार विमर्श किया है. इसका परिणाम है (1) 31 मार्च 1982 तक भर्ती पर फौरी प्रतिबंध, (2) 60 दिन से ज्यादा की सभी नौकरियों को खत्म करना, (3) सभी आकस्मिक मजदूरों की छंटनी व ठेका प्रणाली से काम कराना, और (4) सभी कर्मचारियों को नियम 14 (ii) के तहत ज्यादा कठोर सजाएं व अंतः विभागीय तबादले. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया है कि **एक दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी का चालक 24 घंटों से ज्यादा समय से काम पर था**. लेकिन फिर भी उन्होंने यह कहा कि "मौजूदा हालात का मुख्य कारण अनुशासनहीनता है." उन्होंने यह भी कहा कि जनता को तमिलनाडु एक्सप्रैस में 24 की बजाए 17 डिब्बों से ही संतुष्ट होना चाहिए. निचले स्तर के अधिकारियों को यह धमकी दी गई है कि यदि वे स्टाफ को कठोर दंड देने में असफल होते हैं तो उनकी गुप्त रिपोर्ट में सेवा भविष्य बिगाड़ दिया जाएगा.

इन कदमों को थोपने के लिए एस आर व एस सी आर को चुनने का फैसला मुख्यतः इसलिए लिया गया क्योंकि इन दोनों रेलवेज में रेलवे ट्रेड यूनियन आंदोलन में विभाजन है. इसी प्रकार लोको रंनिग स्टाफ, कैरिज एंड वेगन स्टाफ तथा स्टेशन मास्टरों की इन तीन श्रेणियों को हमलों का विशेष निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि अध्यक्ष यह समझते हैं कि ये तीन श्रेणियां अनुशासनात्मक कदमों के सामने झुकती नहीं हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिरोध करती है. □

राष्ट्राय अभियान समिति व रेलकर्मी

बोट क्लब पर ऐतिहासिक रैली के 19 जनवरी 1982 को एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान से रेलकर्मियों में समर्थनात्मक भावना फैल रही है. बोट क्लब पर रली में एन एफ आई आर के अलावा रेल कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संगठनों के एक बड़े जत्थे ने भाग लिया. ए आई आर एफ के महासचिव जे. पी. चौबे तथा ए आई एल आर एस ए के महासचिव एस के धर मंच पर मौजूद थे. ए आई आर ई सी के महासचिव एन एस भंगू, आई आर डब्लू एफ की अध्यक्ष पार्वती कृष्णन और अनेक अन्य भी मौजूद थ. हरेक ने एक दिन की हड़ताल का समर्थन किया.

ए आई एल आर एस ए ने इस सवाल पर 21-22 नवंबर को संपन्न अपनी सी डब्लू सी की बैठक में विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान में भाग लेने का फैसला किया और अपने इस दृढ़ मत का इजहार किया कि "मजदूर वर्ग की आम मांगों के साथ एकजुट होने के लिए भारतीय रेलवेज में ट्रेड यूनियन संगठनों का आह्वान अंततः अपनी ही जायज मांगों को मनवाने के लिए रेल कर्मियों के एकजुट आंदोलन की सहायता करेगा." लेकिन सी डब्लू सी ने अपने बिरादराना संगठनों का संगठनात्मक तैयारी का जायजा लिया और कहा कि यदि दूसरी फेडरेशनें/एसोसिएसनें हड़ताल के लिए आगे नहीं आती हैं तो एकजुट होकर कोई दूसरी कार्यवाही की जाएगी क्योंकि "हड़ताल में केवल एक हिस्से की भागीदारी वांछनीय नहीं है."

ए आई आर एफ की वर्किंग कमेटा की बैठक 22 नवंबर को हुई. उससे पहले ए आई आर एफ व आई आर डब्लू एफ सहित विभिन्न संगठनों के महासचिवों की बैठक शनिवार 21 नवंबर को संपन्न हुई. कार्यक्रम में भागीदारी के सर्वसम्मत फैसले के लिए बातचीत अभी जारी है क्योंकि कई संगठन अपनी वर्किंग कमेटी से विचार विमर्श नहीं कर सके हैं. श्रेणी-नुसार सभी एसोसियशनों के एक 12 सदस्यीय दल ने अपने बीच बातचीत का एक दौर किया है और इस मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए उनकी 6 दिसंबर को बैठक होगी. हर संबद्ध एकक से अपने संगठनात्मक फैसले को इस दिन से पहले भेजने के लिए अनुरोध किया गया है. यह भी फैसला किया गया कि ए आई आर एफ, ए आई एल आर एस ए, ए आई आर ई सी. आई आर डब्लू एफ और बी आर एम के प्रतिनिधि उस बैठक के अगले दिन इस सवाल पर संयुक्त कदम अपनाने के लिए एक बार फिर मिलेंगे.

इन सभी संगठनों के एक दूसरे के करीब आने से रेल कर्मियों के एकजुट संघर्ष की संभावना पैदा हो गई है. □

सभी सीटू यूनियनें ध्यान दें

सीटू के 27 अक्टूबर के सरकुलर नं० 34/81 व 28 अक्टूबर के 34/81 के अनुसार सीटू की सभी यूनियनें श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए सदस्यता के आंकड़ों की जांच की रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को भेजें. 1980 के लिए एनुअल रिटर्न अवश्य दायर कर दें और उनकी प्रतिलिपी केंद्रीय कार्यालय भेजें. □

हिंदुस्तान फरोडो की हड़ताल पांचवें महीने में

हिंदुस्तान फेरोडो लिमिटेड, एक ब्रिटिश एकाधिकारी कंपनी द्वारा नियंत्रित जो इसकी पूंजी के 74 प्रतिशत की स्वामी है, के प्रबंधकों के अड़ियल रवैये ने अपने 2,200 मजदूरों को चार महीनों से भी ज्यादा समय के लिए अपना दृढ़ संघर्ष जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया है.

मजदूर 13 सालों से एक अनुचित श्रम समझौते के तहत पीड़ित रहे हैं जिसने उनके महंगाई भत्ते को आधा कर दिया है और इससे न्यूनतम स्तर पर वेतन में 66 रुपये प्रति माह कमी होती है तथा जो ज्यादा वेतन ले रहे हैं उनके लिए यह कमी और भी ज्यादा है. इसके अलावा उनका कार्यभार बढ़ा दिया गया जिससे उत्पादकता में 40-50 प्रतिशत वृद्धि हुई.

बार बार मांग करने के बावजूद प्रबंधकों ने मजदूरों को एस्बैस्टस धूल व फाइबर खतरों से बचने के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण देने से इंकार कर दिया है. कंपनी द्वारा एस्बैस्टस कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे मजदूरों को कैंसर व फेफड़ों की घातक बीमारियों के होने का खतरा रहता है. बातचीत से कोई सुविधा प्राप्त करने में नाकामयाब होने पर मजदूर 17 जुलाई से हड़ताली कार्यवाही के लिए मजबूर हुए थे.

महाराष्ट्र सरकार ने इस विवाद में सक्रियता से हस्तक्षेप नहीं किया है. दूसरी ओर पुलिस खुले आम प्रबंधकों का समर्थन करती रही है और इसने मजदूरों को आतंकित करने के लिए चार को गिरफ्तार किया है. मजदूरों द्वारा गेट मीटिंगें आयोजित करने पर रोक लगाने के लिए प्रबंधकों ने कोर्ट आदेश प्राप्त कर लिए हैं. अविचलित मजदूरों ने मुख्य मार्ग पर समूचे यातायात को डेढ़ घंटे के लिए ठप्प करते हुए एक मीटिंग आयोजित की जिसे एम. के. पंधे व प्रभाकर संजगिरी ने संबोधित किया. पुलिस ने रैली को चारों ओर से घेर लिया और धमकियां देकर इसे भंग करने की कोशिश की. मजदूरों ने दृढ़ संकल्प कर लिया है और बिदेशी पूंजी द्वारा दमन के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है. □

पश्चिम बंगाल

हड़ताली कार्यवाहियों द्वारा बैंक कर्मचारियों की जीत

पश्चिम बंगाल बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन ने कई हड़ताली कार्यवाहियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को मानने के लिए प्रबंधकों को मजबूर कर दिया. संघर्ष चार महीने चला और समूचे पूर्वी क्षेत्र में व्याप्त हो गया था. यह जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'एस्मा' लागू होने के बावजूद हुई है. कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ अधिनायकवादी कानून का मुकाबला किया और एक छोटे से सहयोगवादी दल को किनारे लगाते हुए प्रबंधकों को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया.

प्रोजेक्ट क्षेत्रों में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने, आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित करने आदि के लिए प्रबंधक सहमत हुए. प्रबंधकों ने यह भी मांग स्वीकार की कि इस क्षेत्र के लिए ईस्टर्न रीजनल काउंसिल समझौता-बार्ता संस्था होगी.

फेडरेशन की एक और यूनिट, पंजाब नैशनल बैंक श्रमिक यूनियन ने भी सफल संघर्षों का नेतृत्व किया और कई कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदमों को बिना शर्त वापस लेने के लिए तथा एक किराए के कंप्यूटर के लिए हटाए गए लिपिक कार्य को बहाल करने के लिए प्रबंधकों को मजबूर किया. □

सीटू मजदूर

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छः रुपये
कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली 110001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	जुला.	अग.	सित.
बिहार			
जमशेदपुर	420	428	429
झारिया	409	420	425
कोडर्मा	450	464	476
मोंघाइर	473	491	498
नोआमुंडी	426	441	437
गुजरात			
अहमदाबाद	438	441	444
भाव नगर	454	465	460
हरियाणा			
यमुना नगर	477	481	480
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	465	471	482
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	462	467	477
भोपाल	470	477	479
ग्वालियर	481	482	483
इंदौर	487	492	484
महाराष्ट्र			
बंबई	459	462	458
नागपुर	459	466	481
शोलापुर	490	504	499
पंजाब			
अमृतसर	460	473	474
राजस्थान			
अजमेर	477	481	492
जयपुर	491	499	499
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	445	446	442
सहारनपुर	445	450	458
वाराणसी	491	494	496
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	444	449	452
कलकत्ता	408	412	423
दार्जीलिंग	360	365	376
हावड़ा	392	395	403
जलपाइगुरी	357	364	366
रानीगंज	425	422	430
दिल्ली	476	480	480
भारत	447	454	456

उदंड मिशनरी इंस्टीच्यूट

के आर. ए प्लाईज यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में मजदूरों के संघर्ष के माध्यम से एक विदेशी मिशनरी इंस्टीच्यूट, के. आर. एग्रीकल्चरल फार्म, बेटैयाह, की उदंड कार्यवाहियां व श्रम विरोधी नीतियां, जिन्हें बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उपायुक्त का .समर्थन प्राप्त है, प्रकाश में आई हैं.

इस विरोधी मिशनरी के कर्मचारी दिन में आठ घंटे से भी ज्यादा समय के लिए दयनीय हालत में काम करते हैं और इनके रोजगार स्थायी नहीं है तथा इन्हें कोई छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, चिकित्सा सुविधा, बोनस व मंहगाई भत्ता नहीं मिलता. एक साल से भी पहले यूनियन ने मांगपत्र पेश किया था. प्रबंधकों का बदले की भावना का रवैया तब सामने आया जब इसने यूनियन के महासचिव विक्टर लुडविक को दो अन्य कार्यकर्ताओं सहित बर्खास्त कर दिया. शांतिपूर्वक समझौतावार्ता की सभी कोशश नाकामयाब होने पर यूनियन 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुई. हड़ताल के पहले ही दिन पश्चिम चंपारण के उपायुक्त ने यूनियन से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि वह प्रबंधकों से कहेंगे कि मांगों पर समझौता किया जाए. उपायुक्त के आश्वासन पर यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली और मजदूरों को 19 सितंबर से काम पर लौटने का निर्देश दिया. लेकिन प्रबंधकों ने मजदूरों को काम पर नहीं आने दिया तथा कई महिला कामगारों सहित कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. उपायुक्त को उनके आश्वासन की याद दिलाते हुए कई ज्ञापन दिए गए लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी. इसके विपरीत सरकारी मशीनरी को विदेशी मिशनरी प्रबंधकों की सहायता के लिए खुला छोड़ दिया. पुलिस व प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों ने मजदूरों को व उनके परिवारों को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं ताकि उन्हें नाकामयाब किया जा सके. जब कोई विकल्प नहीं रहा तो मजदूरों ने उपायुक्त के बेटैयाह में दफ्तर के सामने 12 नवंबर से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है. सरकार के अधिनायकवादी चरित्र को दर्शाते हुए, जो मजदूरों को "अनुशासित" कर रही है जबकि विदेशी मिशनरियों की सेवा कर रही है, हजारों पर्चे बांटे जा रहे हैं. □

कोयला खदान मजदूरों पर पुलिस दमन

चर्चा कोलियरी पर मजदूरों के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश पुलिस टूट पड़ी और उनपर बर्बर लाठी चार्ज किया गया.

चर्चा कोलियरी के प्रबंधकों ने पिछले पांच-छः सालों से कार्यरत 68 मजदूरों को बिना कारण बताए बर्खास्त कर दिया था. उनकी बहाली का मांग करते हुए कोयला श्रमिक संघ (साटू) के नेतृत्व में चर्चा व भटगवां कोलियरियों के मजदूरों ने 16 अक्तूबर से रोजाना जुलूस निकालने शुरू कर दिए. प्रबंधकों के साथ सांठगांठ करके पुलिस ने यूनियन के अध्यक्ष माहित राम, उपाध्यक्ष मुनु गोपे व डी. पी. लाहिरी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की सहायता से प्रबंधकों ने मजदूरों में आतंक फैलाने के लिए अपने भाड़े के गुंड नियुक्त कर दिये. जब मजदूरों ने एक नवंबर को एक जनसभा आयोजित की तो प्रबंधकों के गुंडों की मदद से पुलिस ने उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया जिसमें अनेक घायल हुए और सभी बर्खास्त 68 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन सभी दमनात्मक कदमों का सामना करते हुए मजदूरों ने अपने संघर्ष को और तेज कर दिया है. □

पालेकर अवार्ड को लागू करने की मांग के समर्थन में हड़ताल

रायपुर के दो समाचारपत्रों दैनिक धर्मयुग व दैनिक महाकौशल के कर्मचारिय। ने पालेकर अवार्ड को लागू करने की मांग के समर्थन में 3 नवंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की. हड़ताल का आह्वान रामपुर संभाग प्रैस मजदूर यूनियन (सीटू), जिसके नेतृत्व में वे संगठित हैं, द्वारा किया गया था.

इन दो दैनिक समाचारपत्रों के प्रबंधक पालेकर अवार्ड को नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे हैं. एक ओर मजदूरों के एक हिस्से को कुछ नाममात्र रियायतें देकर ये यह भ्रम फैलाने की काशिश करते रहे हैं कि पालेकर अवार्ड लागू कर दिया गया है जबकि दूसरी ओर वे मजदूरों के दूसरे हिस्से को "जाब प्रेस" श्रेणी में दिखाकर, क्योंकि यह श्रेणी अवार्ड के तहत नहीं है, अवार्ड से वंचित कर रहे हैं. लेकिन मजदूरों की एकता ने प्रबंधकों की सभी नापाक हरकतों को धराशयी कर दिया और हड़ताल शतप्रतिशत कामयाब रही. □

पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल

पटना विश्वविद्यालय के निरंकुश व श्रम विरोधी कुलपति ने विश्वविद्यालय क्षेत्र में अस्त-व्यस्तता फैला दी है. विश्वविद्यालय कर्मचारियों की साधारण मांगें थीं : बिहार सरकार द्वारा पहले ही अप्रैल 1980 में स्वीकृत 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता, शिक्षित चतुर्थ ग्रेड कर्मचारियों की तृतीय ग्रेड में पदोन्नति और उन कर्मचारियों को जो दो साल की सेवा पूरी कर चुके हैं स्थायी करना. अड़ियल कुलपति ने कर्मचारियों की बातचीत से समझौते की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया और उन्हें 16 सितंबर से धरना आयोजित करने के लिए मजबूर कर दिया. कुलपति की बदले की भावना का रवैया उस समय सामने आया जब कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने की बजाए उसने कर्मचारियों के वेतन काटने का आदेश जारी किया. इस कदम ने कर्मचारियों को 22 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया जिससे पोस्ट ग्रेजुएट विभाग बंद हो गए. कुलपति के श्रम विरोधी रवैये से छात्रों में भी रोष फैल गया है.

एक प्रैस बयान में सीटू की बिहार राज्य कमेटी के सचिव नंद किशोर शुक्ल ने कुलपति के रवैये की निंदा की है और महाकुलपति से कर्मचारियों व छात्रों के हित में विवाद में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है. □

टक्सटाइल मिल्स के प्रबंधकों के गुंडों द्वारा हिंसा

सीटू यूनियन के प्रभाव को रोकने के पागलपन में नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के तहत अथरेटन मिल्ज, कानपुर, के प्रबंधकों ने मजदूरों में हिंसा भड़काने के लिए गुंडा तत्वों को नियुक्त कर दिया है.

वारदातों को शुरू करने के लिए स्पिनिंग सुपरिंटेंडेंट, योगी, ने यूनियन कार्यकर्त्ता राम संजीवन पर 23 अक्टूबर को उसके दफतर में हमला किया. मजदूरों में इससे एकदम रोष की लहर फैल गई और उन्होंने तुरंत काम बंद कर दिया. अपनी इन करतूतों को आगे बढ़ाते हुए प्रबंधकों ने गुंडा तत्वों को मिल गेट पर झगड़ा करने के लिए नियुक्त कर दिया. और सूती मिल मजदूर सभा (सीटू) के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सहित कई कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ दोषपत्र जारी किए. मात्र इससे संतुष्ट न होकर, प्रबंधकों के गुंडों ने 3 नवंबर को गेट मीटिंग में हिंसात्मक पथराव किया जिसमें राजेंद्र सिंह घायल हुए. इसके अलावा प्रबंधकों ने कुछ अन्य मजदूरों के खिलाफ दोषपत्र जारी किए तथा पुलिस को सूचित कर दिया. मालिकान के स्वामिभक्त सेवकों की तरह पुलिस ने कई मजदूरों के खिलाफ धारा 307 व 147 के तहत आपराधिक मामले दायर कर दिए. आग में घी डालने के लिए प्रबंधकों ने अनेक मजदूरों की छटनी कर दी. मिल में उत्पादन लगभग बंद हो चुका है क्योंकि इसमें अघोषित तालाबंदी है. लेकिन मजदूर प्रबंधकों की घृणात्मक करतूतों को धराशयी करने के लिए अपना दृढ़ संघर्ष जारी किए हुए हैं. □

गोवा के सभी उद्योगों में हड़ताल

आल गोवा ट्रेड यूनियंज एंड ट्रेडिशनल वर्कर्स की कोआर्डिनेशन कमेटी ने 12 नवंबर को सभी फैक्ट्रियों, खदानों, गोदी व संस्थानों में हड़ताल करने का फैसला किया है.

हड़ताल का आह्वान पुलिस दमन व कीमत वृद्धि के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में तथा एन एस ए व एस्मा को खत्म करने की मांग करते हुए किया गया है.

कोस्टी, ग्जावोल्ना, सानवोर्डेम, मर्मागोवा व अन्य स्थानों की स्थिति पुलिस राज की सी है. मजदूरों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना, पुलिस लाकअप में उन्हें पीटना और गुंडों की मदद से कानूनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों का खुलेआम दमन करना कांग्रेस (आई) सरकार की नीतियां हैं. स्वयं श्रम मंत्री ने चौगुले के हड़ताली मजदूरों को चुनौती दी है कि उनके संघर्ष को पुलिस बल की सहायता से कुचल दिया जाएगा.

अधिनायकवादी ताकतों की चुनौती स्वीकार करते हुए कोआर्डिनेशन कमेटी ने मजदूरों व कर्मचारियों को 12 सूत्री मांग पत्र के साथ हड़ताल करने का आह्वान किया है. मांग पत्र में आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी; किसानों के लिए लाभकारी दाम; आवश्यकतानुसार न्यूतम वेतन; छटनी, क्लोजर, लेआफ व तालाबंदी पर रोक; सामूहिक सौदे का अधिकार; गुप्त मतदान से यूनियनों को मान्यता; और एन एस ए, एस्मा व अन्य दमनकारी कानूनी को वापसी आदि की मांगें शामिल हैं. □

मिल के अधिग्रहण की मांग

मिल मजदूर यूनियन (सीटू), उज्जैन, ने विनोद मिल्स एंड कंपनी के अधिग्रहण की मांग की है. इसकी जनरल बाडी की 14 अक्तूबर को संपन्न एक बैठक में बताया गया है कि मिल को चलाने के लिए सरकार से ऋण लेने के बाद मालिकान इस राशि का निवेश अपने रिश्तेदारों के नाम से दूसरे उद्योगों में कर रहे हैं. मजदूरों के भविष्य निधि के पैसों को मालिकान हड़प कर रहे हैं और हिसाब किताब भविष्य विधि आयुक्त के पास भेजा नहीं गया हैं. सरकारी उच्चाधिकारियों की गैर कानूनी मुट्ठी भरके मजदूरों के भविष्य निधि के हिस्से के करोड़ों रुपयों व ऋण राशि का मालिकान इस प्रकार गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही सरकार मालिकान के इस गैरकानूनी लेनदेन को नजरअंदाज कर रही है तथा इसकी "बीमारी" का बहाना बना कर और भी ऋण दे रही है. निष्ठुरता से छटनी शुरू कर दी गयी है और मजदूरों के किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को गुंडों की सहायता से बर्बरता के साथ दबाया जा रहा है. अपी गैरकानूनी गतिविधियों व श्रम विरोधी कार्यवाहियों को छिपाने के लिए प्रबंधकों ने इंटक यूनियन को विश्वास में ले रखा है. एक साल से भी ज्यादा समय से मिल के 8,000 मजदूर इस डावांडोल स्थिति में हैं. यूनियन ने सी बी आई द्वारा जांच व सरकार द्वारा मिल्स के अधिग्रहण की मांत्र की है. सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी ने मालिकान को ऋण देने के लिए सरकार की निंदा की है और इसके अधिग्रहण की मांग की है. इसने अन्य मिलों के सभी मजदूरों का आह्वान किया है कि वे मिल के अधिग्रहण के लिए एजजुट संघर्ष शुरू करें. □

सीटू मजदूर

मुख पृष्ठ :

23 नवंबर को बोट क्लब नयी दिल्ली में मजदूरों की विशाल रैली का मंच-समर मुखर्जी भाषण कर रहे हैं. विशाल बैनर. जुलूस का नेतृत्व करते हुए सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों के नेता. बोट क्लब पर विशाल रैली का एक दृश्य.

अंतिम पृष्ठ :

22 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न कामगार महिलाओं के सम्मेलन का मंच-चित्र में अहिल्या रंगनेकर (बाएं). सम्मेलन के दो दृश्य.

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित.

मजदूर वर्ग के प्रति हम वचनबद्ध है

वाम मोर्चा सरकार पश्चिम बंगाल के मजदूरों के प्रति जिन्होंने अनेक जनवादी आंदोलनों का नायकत्व किया है वचनबद्ध है. 21 जून 1977 को सत्ता में आने के बाद वाम मोर्चा सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक है मजदूरों के कड़े संघर्षों द्वारा अर्जित अधिकारों को दृढ़ता से बहाल करना. बहाली के इस लक्ष्य में ट्रेड यूनियन आंदोलनों में जो जयाज मांगों व अधिकारों के प्रति दृढ़ संकल्प हैं पुलिस की दखल-अंदाजी पूरी तरह खत्म कर दी गई है. इसके परिणाम स्वरूप राज्य के मजदूर अपने आप को इस तरह स्थापित कर पाए हैं जैसा कि पहले कभी नही हुआ. जनवादी अधिकारों की पुनर्स्थापना से पश्चिम बंगाल के मजदूर पिछले चार सालों में अपनी मांगें मनवाने में सफल रहे हैं. पश्चिम बंगाल की जूट, टैक्सटाइल, इंजीनियरिंग व चाए जैसे उद्योगों में सफलता पर नजर डालिए. दिसंबर 1979 की तुलना में, जूट उद्योग के मजदूरों ने दिसंबर 1980 तक 47 रूपये प्रतिमास ज्यादा अर्जित किया और इसी दौरान में इंजीनियरिंग क्षेत्र में वेतन में 46 रुपये प्रतिमास व चाए उद्योग में 90 पैसे दैनिक वृद्धि हुई. इसके अलावा राज्य के आयरन फाउंडरी के और आरा मिलों के मजदूरों को वाम मोर्चे के न्यूनतम वेतन दर तय करने के फैसले से लाभ हुआ.

इन चार सालों में पश्चिम बंगाल के उद्योगों में औद्योगिक संबंधों में प्रशंसनीय सुधार हुआ है. सरकार की त्रिपक्षीय समझौतावार्ताओं और अन्य नीतियों के कारण हड़तालों, छंटनी, लाकआउट व ले-आफ में काफी कमी हुई है. इसके परिणामस्वरुप औद्योगिक क्षेत्र व मजदूरों को परस्पर लाभ हुआ है.

स्पष्ट है कि वाम मोर्चा सरकार की मजदूर वर्ग समर्थक नीतियां श्रम कल्याण व औद्योगिक क्षेत्र में कार्य हालात में सुधार में परिणत हुई हैं. वाम मोर्चा सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि मजदूरों के हालात में सुधार से उद्योगों में आम वातावरण में सुधार होता है. उनके लिए राज्य के उद्योगों में नए मार्ग होंगे. मजदूरों को दिए गए वचनों को पूरा करके वाम मोर्चा सरकार उज्ज्वल कल के लिए आगे बढ़ रही है.

पंश्चिम बंगाल सरकार

सीए ए-25179.1

ALL INDIA CO-ORDINATION COMMI
OF WORKING WOMEN